

पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

सम्बद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय

**Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA
INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED**

(Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)

Affiliated to University of Delhi

विवरणिका PROSPECTUS

(2009-2010)



स्नातक, भौतिक चिकित्सा	–	Bachelor of Physical Therapy (BPT)
स्नातक, व्यावसायिक चिकित्सा	–	Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
स्नातक, प्रोस्थेटिक्स एवम् आर्थोटिक्स	–	Bachelor of Prosthetics & Orthotics (BPO)
अवधि : 4 वर्ष एवं छः मास	–	Duration : 4 Years & 6 Months Each

4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002

4, VISHNU DIGAMBER MARG , NEW DELHI-110 002

website : www.iphnewdelhi.in

विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
1. प्रस्तावना	1
2. पाठ्यक्रम	1
3. न्यूनतम पात्रता शर्तें	2
4. प्रवेश का आधार	2
5. सीटों की संख्या	2
6. विवरणिका की बिक्री तथा प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र	4
7. पाठ्यक्रम शुल्क	5
8. होस्टल	5
9. सामान्य अनुदेश	5
10. आवेदन पत्र के साथ दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	6
11. प्रवेश परीक्षा की तिथि पर उम्मीदवार के लिए जानकारी	6
12. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन	7
13(अ) रैगिंग की रोकथाम तथा दंड (अध्यादेश 15-ग)	8
13(ब) राघवन समिति की सिफारिशें	8
14. आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश	9
15. प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र	11
16. परामर्श हेतु दिशा निर्देश	12

Contents

<i>Particulars</i>	<i>Page No.</i>
<i>1. Introduction</i>	<i>15</i>
<i>2. Professional Courses</i>	<i>15</i>
<i>3. Minimum Eligibility Conditions</i>	<i>16</i>
<i>4. Basis of Admission</i>	<i>16</i>
<i>5. Number of Seats</i>	<i>16</i>
<i>6. Sale of Prospectus & Submission of Application Form</i>	<i>18</i>
<i>7. Course Fee</i>	<i>19</i>
<i>8. Hostel</i>	<i>20</i>
<i>9. General Instructions</i>	<i>20</i>
<i>10. Check list of Documents to be furnished with Application Form</i>	<i>20</i>
<i>11. Information for the Candidate on the Date of Entrance Test</i>	<i>21</i>
<i>12. Maintenance of discipline among students of the University</i>	<i>22</i>
<i>13(a) Prohibition of and Punishment for Ragging (Ordinance XV-C)</i>	<i>23</i>
<i>13(b) Raghvan Committee's Recommendations</i>	<i>23</i>
<i>14. Instructions for filling up the Application Form</i>	<i>25</i>
<i>15. Format of Certificate</i>	<i>26</i>
<i>16. Guidelines for Counselling</i>	<i>28</i>

1. प्रस्तावना

विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली सन् 1976 से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2002 से इसका नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान हो गया है।

इस संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में मानव संसाधन विकास तथा सभी आयु वर्ग के चलन संबंधी विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है। विकलांग व्यक्तियों की कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से यह संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली से सम्बद्ध साढ़े चार वर्ष की अवधि के निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाता है।

- (i) बैचलर आफ फिजिकल थैरेपी (बी.पी.टी)
- (ii) बैचलर आफ आक्यूपेशनल थैरेपी (बी.ओ.टी)
- (iii) बैचलर आफ प्रोस्थेटिक्स एण्ड आर्थोटिक्स (बी.पी.ओ)

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाएं इस प्रकार हैं –

- (अ) शारीरिक विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों/रोगियों के रोग निर्धारण तथा उनकी पुनर्वास संबंधी जरूरतों के बारे में निर्णय लेना।
- (ब) आर्थोटिक व प्रोस्थेटिक उपकरणों (कैलिपर्स, स्प्लिंट्स, कृत्रिम अंगों आदि) तथा सी.पी. मामले में सहायक उपकरण व फर्नीचर आदि के निर्माण हेतु कार्यशाला।
- (स) बाह्य रोगियों के लिए भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा तथा वाणी चिकित्सा सम्बंधी सेवाएं।
- (द) सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक परामर्श सेवाएं।
- (ध) समेकित प्राथमिक स्कूल।

2. पाठ्यक्रम

2.1 भौतिक चिकित्सा एक स्वास्थ्य संबंधी व्यवसाय है जो भौतिक पद्धतियों द्वारा शारीरिक दुष्क्रियाओं में चिकित्सीय प्रबंध से जुड़ा है। इस चिकित्सीय पद्धति का उद्देश्य वैज्ञानिक नियमों की प्रायोज्यता से मानव स्वास्थ्य तथा कार्यशीलता में अधिकतम अभिवृद्धि करना है। भौतिक चिकित्सा के कौशल को सीखने के लिए आधारभूत चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना तथा सैद्धान्तिक विज्ञान की प्रयोज्यता सीखना अनिवार्य है।

एक भौतिक चिकित्सक अल्प अथवा दीर्घकालीन कार्यशील दुष्क्रियाओं का निर्धारण कर उसे ठीक करने अथवा समाप्त करने में

सक्षम होता है। एक भौतिक चिकित्सक अस्पतालों, पुनर्वास केन्द्रों, विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों, वृद्धावस्था केन्द्रों, सेवा गृहों, खेल-कूद प्रतिष्ठानों में कार्य कर सकता है। भौतिक चिकित्सक स्वनियोजित नैदानिक व्यवसायी, शैक्षणिक अध्यापक और अनुसंधानकर्ता भी हो सकता है।

2.2 व्यावसायिक चिकित्सा भी एक स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यवसाय है जो मानसिक मन्दता सहित विभिन्न स्नायुओं, मांस-पेशियों एवं शारीरिक दुष्क्रियाओं तथा मानसिक विकृतियों के चिकित्सीय प्रबंध से जुड़ा है। इसका उद्देश्य उपरोक्त वर्णित विकृतियों से पीड़ित व्यक्ति के दैनिक जीवन के लुप्त कार्यकलापों की कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त करना और सामान्य बनाना कार्य सहनशक्ति का विकास तथा उत्तम समन्वय या कौशलों को बनाए रखना है।

व्यावसायिक चिकित्सा के कौशल को सीखने के लिए भी आधारभूत स्वास्थ्य विज्ञान तथा नैदानिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना तथा अनुप्रयोग करना अनिवार्य है। एक व्यावसायिक चिकित्सक कार्यशील दुष्क्रियाओं का निर्धारण कर उसे ठीक करने अथवा समाप्त करने में सक्षम होता है तथा मानसिक रोग अथवा मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों अथवा व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता कर सकता है। व्यावसायिक चिकित्सक अस्पतालों, पुनर्वास केन्द्रों, विकलांग बच्चों के स्कूलों, नशा मुक्ति-केन्द्रों, मनोचिकित्सा निदानालयों व गृहों तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के केन्द्रों और बाल विकास केन्द्रों में कार्य कर सकता है।

व्यावसायिक चिकित्सक, अपने क्षेत्र में स्वनियोजित नैदानिक व्यवसायी, शैक्षणिक अध्यापक अथवा अनुसंधानकर्ता, परामर्शदाता, सलाहकार आदि भी हो सकते हैं।

2.3 प्रोस्थेटिक्स तथा आर्थोटिक्स—प्रोस्थेटिक्स व आर्थोटिक्स ऐसा व्यावसाय है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सहायक अंग व उपकरण निर्माण करने व लगाने से संबंधित है। एक प्रोस्थेटिस्ट आंशिक या पूर्ण रूप से नामौजूद अंग वाले रोगी के लिए प्रोस्थेटिसिस या कृत्रिम अंग का निर्माण करने, डिजाइन करने और रोगी के शरीर में उसे फिट करने के द्वारा उसके देखभाल की व्यवस्था करता है। प्रोस्थेटिस्ट व्यक्ति की कार्यात्मक और कांतिवर्द्धक जरूरतों को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी अंग या इसके भागों के कृत्रिम अनुकल्प को डिजाइन करता है। वह माप लेता है, उचित सामग्री एवं घटकों का चयन करता है और उसे रोगी में प्रोस्थेटिसिस को फिट करने के लिए सभी रूपांतरण करने पड़ते हैं। वह रोगी को उसके उचित रख-रखाव की जानकारी भी देता है।

आर्थोटिक्स किसी तंत्रिका-मांसपेशीय तथा मांसपेशीय-अस्थि संबंधी विकृतियों से ग्रस्त रोगियों के लिए सहायक देखभाल की व्यवस्था करता है। आर्थोटिस्ट रोगी में शरीर के कमजोर भाग की कार्यात्मक और कांतिवर्द्धक जरूरतों का मूल्यांकन करने, आवश्यकताओं के अनुसार आर्थोटिसिस को डिजाइन करने, आर्थोटिसिस का निर्माण करने, सीध मिलाने

(ऑनलाइन) और फिट करने के लिए जिम्मेदार है। वह रोगी को ऑर्थोसिस के उचित प्रयोग और रखरखाव की जानकारी भी देता है।

3. न्यूनतम पात्रता शर्तें

3.1 **अर्हता:** इन पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों ने निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो:

(क) बीपीटी/बीओटी के लिए सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन की सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा) या उसके समकक्ष कोई परीक्षा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित (पीसीबीई)।

या

(ख) बीपीओ के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित/जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित (पीसीएमई/पीसीबीई) से उत्तीर्ण की गई हो तथा प्रत्येक विषय में छात्र अलग-अलग उत्तीर्ण हो।

या

(ग) काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन की इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित बीपीटी/बीओटी के लिए तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी/भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी विषयों सहित बीपीओ के लिए।

या

(घ) इण्टरमीडिएट/प्रीमेडिकल परीक्षा या समकक्ष भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित बीपीटी/बीओटी के लिए तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी/भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी बीपीओ के लिए।

(ङ) जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ उपर्युक्त में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे केवल बीपीओ पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।

3.2 **अंको की प्रतिशतता:** सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए उपरोक्त चार विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग तथा सी डब्ल्यू ए पी श्रेणी के लिए 45% अंक होने चाहिए।

3.3 **उम्र:** 01 अक्टूबर 2009 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी तथा अन्य के लिए 23 वर्ष है और अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 28 वर्ष है।

3.4 जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 परीक्षा वर्ष 2006 से पूर्व उत्तीर्ण की है तथा उनकी नियमित पढ़ाई में 3 वर्ष से अधिक का अवरोध आ गया है, वे इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

4. प्रवेश का आधार

4.1 बीपीटी/बीओटी/बीपीओ में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में उनकी योग्यताक्रम के आधार पर किया जाएगा। ये परीक्षा तीन घंटे की होगी तथा इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (10+2) पाठ्यक्रम के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

4.2 बीपीटी, बीओटी और बीपीओ के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें "क", "ख", "ग" तथा "घ" चार भाग होंगे और निम्नलिखित विषयों के प्रश्न होंगे:

भाग	विषय	कुल प्रश्न
क	भौतिक शास्त्र	50
ख	रसायन शास्त्र	50
ग	जीव विज्ञान/गणित	50
घ	सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी	50

4.3 बीपीओ पाठ्यक्रम का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अर्हक परीक्षा (अर्थात् 10+2) में उनके विषयों पर निर्भर करते हुए या तो जीव विज्ञान या गणित के प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा। ऐसे अभ्यर्थी विषय का विकल्प आवेदन फार्म में उचित कालम में देंगे। शेष के लिए भौतिकी, रसायन-शास्त्र, सामान्य ज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों के सभी प्रत्याशियों के लिए समान प्रश्न होंगे।

4.4 आवेदन पत्र भरते समय विषय के लिए दिए गए विकल्प को प्रवेश परीक्षा के समय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.5 संस्थान द्वारा चलाए जा रहे बीपीटी, बीओटी और बीपीओ के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले सभी भारतीय अभ्यर्थियों को एक प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेना होगा।

5. सीटों की संख्या

5.1 **सीटों का आरक्षण:** व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 49 सीटें होंगी और बीपीओ में

28 सीटें होंगी। विभिन्न श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए सीटों का वितरण इस प्रकार है—

पाठ्यक्रम	कुल सीट	सामान्य श्रेणी	अनु. जाति	अनु. ज.जा.	अन्य पिछला वर्ष	शारीरिक विकलांग	जहां शिक्षण सुविधाएं नहीं	सी डब्ल्यू एपीपी	वि. मूल
बी पी टी	49	19	8	4	10	1	3	2	2
बी ओ टी	49	20	7	4	10	1	3	2	2
बी पी ओ	28	14	4	2	6	1	.	1	.
योग	126	53	19	10	26	3	6	5	4

5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी (अ.जा/अ.ज.जा.)

प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 15 प्रतिशत व 7½ प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।

किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करते समय सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध है।

5.3 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के OM No. 1-1/2005-UIA/847 दिनांक 20.04.2008 के अनुपालन में केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में आरक्षण विधेयक 2006 के अनुरूप 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। संस्थान में यह आरक्षण तीनों चरणों में आगे आने वाले तीन वर्षों 2008-2009, 2009-2010 तथा 2010-2011 में क्रमशः 10% , 10% तथा 7% की तरह लागू होगा। अतः इस वर्ष 20% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी।

जो छात्र इस श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं वे संबंधित/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित पत्र, इस संबंध में विवरणिका में दिए गए प्रपत्र की रूपरेखा में संलग्न करें। उन्हें यह प्रमाणपत्र भी देना होगा कि वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

5.4 शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी : भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा तथा प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक-एक स्थान शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी के लिए आरक्षित है बशर्ते वे योग्यता क्रम सूची में आ जाते हैं तथा पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए डॉक्टर की जांच में उपयुक्त पाए जाते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत दावे हेतु उन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए।

शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी को बीपीओ पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान वांछित मैकेनिकल कार्य कर सकने में सक्षम होना चाहिए।

प्रत्याशी में खड़े होने पर प्रयाप्त संतुलन होना चाहिए तथा उसके ऊपरी अंग वांछित युक्तिसंगत कार्य कर सकने के लिए सक्षम होने चाहिए।

जो अभ्यर्थी शारीरिक विकलांग वर्ग के अन्तर्गत चयनित किये जायेंगे, उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ल्ड युनिवर्सिटी हेल्थ सेन्टर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। बोर्ड द्वारा उपयुक्त घोषित होने पर ही अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चयनित पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

5.5 युद्ध के दौरान मारे गए अथवा विकलांग हो गए अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र सेना कर्मिकों के बच्चों अथवा विधवाओं (सीडब्ल्यूएपीपी) के लिए प्रावधान

अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र सेना के अधिकारियों और व्यक्तियों जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है/विकलांग हुए हैं, की विधवाओं और बच्चों के बारे में 1947-48 से आगे की लड़ाइयों में मारे गए, विकलांग हुए अधिकारियों और व्यक्तियों की विधवाओं/बच्चों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षित एक सीट पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

उपरोक्त छूट के लिए पात्र होने हेतु अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र सेना के अधिकारियों और व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :

- (क) सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।
- (ख) सचिव, राज्य/जिला सैनिक बोर्ड।
- (ग) प्रभारी अधिकारी, रिकार्ड कार्यालय।
- (घ) प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट।

5.6 विदेशी नागरिक (एफएन)

- (1) व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में दो स्थान विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे बशर्ते कि वे न्यूनतम पात्रता शर्तें पूरी करते हों तथा उन्होंने अंतिम अर्हक परीक्षा (अर्थात् 10 + 2 के समकक्ष) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/बोर्ड (भूटान के सिवाय) से उत्तीर्ण की हो।
- (2) विदेशी नागरिक जिन्होंने अर्हक परीक्षा किसी भारतीय स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (3) **विदेशी नागरिक श्रेणी से संबंधित प्रत्याशियों को प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं।** तथापि, उनके आवेदन उनकी सरकार से समुचित संस्तुति के उपरान्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पास विचारार्थ पहुंच जाने चाहिए।
- (4) उनके आवेदन की सिफारिश दिल्ली विश्वविद्यालय के विदेशी छात्र सलाहकार द्वारा भी की जानी चाहिए।
- (5) भारत सरकार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से उचित औपचारिकताओं के बाद उनका आवेदन संस्थान में पहुंच जाता है तो रिक्त तथा विदेशी नागरिकों की वरीयता सूची पर निर्भर करते हुए पाठ्यक्रम में अंतिम प्रवेश दिए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी समकक्ष अर्हता की जांच की जाएगी।

5.7 उन राज्यों के प्रत्याशी जहाँ इस प्रकार की शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं (एस. टी. एन. ए.)

व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा प्रत्येक में 3 स्थान ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं जहाँ इस प्रकार की शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। बशर्ते वे प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम में स्थान प्राप्त कर लें। इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को राज्य सरकार स्वास्थ्य या कल्याण विभाग के कमिश्नर/सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्र लाना होगा कि इस प्रकार की सुविधाएँ उनके राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है :-

(i) अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	(viii) लक्षद्वीप
(ii) अरुणाचल प्रदेश	(ix) मणिपुर
(iii) असम	(x) मेघालय
(iv) दमन और दीव	(xi) मिजोरम
(v) हिमाचल प्रदेश	(xii) नागालैण्ड
(vi) जम्मू और कश्मीर	(xiii) सिक्किम
(vii) झारखण्ड	(xiv) त्रिपुरा

5.8 सीटों के आरक्षण से अलग किया जाना

यदि शारीरिक रूप से विकलांग/ एसटीएनए/सीडब्ल्यूएपीपी तथा विदेशी नागरिक श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन स्थानों को आरक्षण से अलग समझा जाएगा तथा ऐसी सीटों के लिए योग्यता क्रम के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विचार किया जाएगा।

5.9 गलत सूचना पर आवेदन/प्रवेश रद्द

ऐसा कोई भी छात्र जो आयु, श्रेणी, उत्तीर्ण विषय तथा अंक प्रतिशत आदि के सम्बन्ध में दी गई गलत सूचना के आधार पर प्रवेश ले लेता है तो जब कभी भी यह स्थिति विश्वविद्यालय/संस्थान के ध्यान में लायी जायेगी उसका आवेदन पत्र/दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।

6. विवरणिका की बिक्री तथा प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

6.1 विवरणिका एवं आवेदन पत्र पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान के काउन्टर से दिनांक 15 अप्रैल 2009 (बुद्धवार) से उपलब्ध होंगे। वर्ष 2009-2010 में संस्थान द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रवेश के लिए आवेदन अध्यक्ष, प्रवेश समिति, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 के पास 29 मई, 2009 (शुक्रवार) सांय 5.00 बजे तक जमा कर दिए जाने चाहिए। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ छात्रों को दिए गए सामान्य अनुदेशों के

अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। डाक द्वारा विवरणिका एवं प्रवेश फार्म भेजने की अंतिम तिथि 22 मई, 2009 (शुक्रवार) है।

संस्थान डाक में गुम होने वाले या विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।

6.2 प्रवेश परीक्षा की तारीख-प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जून, 2009 (रविवार) को होगी।

बी.पी.टी./ बी.ओ.टी./बी.पी.ओ - पूर्वा. 10 बजे से अप्र. 1 बजे तक

यदि किसी अभ्यर्थी को 10 जून, 2009 तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता तो वह कृपया तत्काल अध्यक्ष, प्रवेश समिति, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली को लिखें या सम्पर्क करें। डुप्लिकेट प्रवेश पत्र संस्थान द्वारा 12 व 13 जून 2009 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक जारी किए जायेंगे।

किसी भी ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके पास संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र नहीं होगा।

6.3. परिणाम : परिणाम को अंतिम रूप से संस्थान में 29 जून, 2009 (सोमवार) को प्रकाशित किया जाएगा तथा संस्थान की वेबसाइट www.iphnewdelhi.in पर उपलब्ध किया जाएगा। असफल अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। संस्थान प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अंक तालिका जारी नहीं करेगा तथा इस संबंध में किये गए किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। योग्यता-क्रम सूची के केवल सफल प्रत्याशियों को परामर्श/अंतिम प्रवेश के लिए निर्धारित तारीख को बुलाया जाएगा।

6.4 प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित विवरण पत्रिका का मूल्य: आवेदन पत्र सहित विवरण पत्रिका निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, 4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली के कार्यालय काउन्टर से सामान्य व अन्य श्रेणी के लिए 500/-रु. तथा अनु. जा. /अ. ज. जा. के लिए (जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) 250/- रु. के नकद भुगतान या निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली के नाम में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रत्याशी पंजीकृत डाक से फार्म व विवरण पत्रिका मंगाना चाहते हैं वे सामान्य श्रेणी के मामले में 550/- रु. तथा अ.जा./अ.ज.जा. के मामले में 300/-रु. के डिमांड ड्राफ्ट भेजकर जैसा कि ऊपर बताया गया है (अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ) जिसके साथ 12 x 28 सें. मी. का बिना टिकट लगा स्वयं का पता लिखा लिफाफा संलग्न हो एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट, निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, 4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 के नाम भेंजें। उन्हें आवेदन पत्र व विवरण पत्रिका रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा भेजे जाएंगे। तथापि, यह संस्थान फार्म के

मार्ग में गुम होने अथवा डाक विलम्ब से मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अतः दिल्ली से बाहर के प्रत्याशियों को परामर्श दिया जाता है कि वे फार्म मंगाने संबंधी अपना अनुरोध किसी असुविधा से बचने के लिए अन्तिम तारीख से काफी पहले भेजें।

आवेदन पत्र को संस्थान की वेबसाईट www.iphnewdelhi.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार से डाउनलोड किये गये आवेदन पत्रों के साथ, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 550/- रु. और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों को 300/- रु. का डिमांड ड्राफ्ट भेजना अनिवार्य है।

7. पाठ्यक्रम शुल्क

परामर्श एवम् सामयिक प्रवेश के लिए बुलाए गए प्रत्याशियों को उनके चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि को निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा :-

क्र.सं०	विवरण	राशि रु०	टिप्पणी
1.	प्रवेश शुल्क	1200.00	केवल एक बार (अप्रतिदेय)
2.	जमानत राशि	10000.00	(प्रतिदेय सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर)
3.	पुस्तकालय प्रतिभूति जमा	1000.00	(प्रतिदेय)
4.	ट्यूशन शुल्क	7200.00	प्रति वर्ष (कक्षाएं आरम्भ के उपरान्त अप्रतिदेय)
5.	छात्रावास शुल्क	7200.00	प्रति वर्ष (छात्रावास में स्थान मिलने की स्थिति में देय होगा)
6.	थेराप्यूटिक प्रयोगशाला शुल्क	2400.00	प्रति वर्ष (कक्षाएं आरम्भ के उपरान्त अप्रतिदेय)
7.	खेलकूद एवं सांस्कृतिक शुल्क	600.00	प्रति वर्ष (कक्षाएं आरम्भ के उपरान्त अप्रतिदेय)
8.	नामांकन शुल्क	-	दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार
9.	परीक्षा शुल्क	-	दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार
योग		22,400.00	+7200 लगभग

नोट :

- अंतिम प्रवेश हो जाने पर क्र.सं. 1 में वर्णित प्रवेश शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
- क्र. सं. 2 में वर्णित जमानत राशि कक्षाएं आरम्भ होने से पूर्व अथवा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा होने के उपरान्त ही लौटायी जाएगी। यदि कोई कक्षाएं आरम्भ होने के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो यह राशि नहीं लौटाई जाएगी।

(iii) कक्षा आरंभ होने के उपरान्त क्र.सं. 4, 6 व 7 में वर्णित राशि नहीं लौटाई जाएगी तथापि यदि प्रत्याशी प्रवेश के लिए होने वाले द्वितीय परामर्श की तारीख से एक दिन पूर्व प्रवेश से हट जाता है तो इसे वापिस किया जाएगा अन्यथा केवल क्र.सं. 3 पुस्तकालय प्रतिभूति संबंध विभाग और पुस्तकालय से "कुछ बकाया नहीं" प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर लौटाई जाएगी।

(iv) क्र. सं. 5 दिये गए शुल्क पर यदि प्रत्याशी को होस्टल में स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो छात्रावास शुल्क नहीं लिया जायेगा/लौटा दिया जाएगा।

(v) क्र.सं. 8 व 9 में दिए गये शुल्क एक बार विश्व-विद्यालय में जमा हो जाने पर लौटाए नहीं जाएंगे।

8. होस्टल

- रिक्तता पर निर्भर करते हुए दिल्ली से बाहर के उम्मीदवारों के लिए संस्थान के होस्टल में सीमित स्थान उपलब्ध है। दिल्ली में निवास रखने वाले छात्रों को होस्टल में स्थान नहीं दिया जाएगा। होस्टल वासी होस्टल नियमावली में निर्धारित नियमों और विनियमों के अधीन रहेंगे।
- होस्टल में स्थान आबंटित होने पर किराया, बिजली, पानी तथा अनुरक्षण प्रभार के रूप में 7200/- रु. प्रति वर्ष की दर से होस्टल शुल्क लिया जाएगा।
- यदि संस्थान के होस्टल में सीटें उपलब्ध नहीं होती तो प्रत्याशी को दिल्ली में ठहरने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। होस्टल में आवास वर्ष दर वर्ष के आधार पर आबंटित किया जाएगा।
- असफल छात्रों/भूतपूर्व छात्रों को होस्टल में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, वार्षिक/पूरक परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर उन्हें स्थान पुनः आवंटित किए जाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि रिक्त स्थान उपलब्ध हो।

9. सामान्य अनुदेश

- संलग्न आवेदन पत्र निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही प्रत्याशी स्वयं के हस्तलेख में भरें। स्वयं प्रत्याशी द्वारा न भरे जाने पर आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।
- प्रत्याशी आवेदन पत्र, पहचान पत्र तथा प्रवेश पत्र पर अपने हस्तलेख में स्पष्ट हस्ताक्षर करें। बड़े अक्षरों (केपिटल लेटर्स) में हस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्याशी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- इस आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को छिपाना अयोग्यता समझी जाएगी तथा इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी को अयोग्य माना जाएगा।

- (4) इस आवेदन पत्र में यदि कोई असत्य सूचना दी जाती है अथवा किसी वास्तविक सूचना को छुपाया जाता है तथा जिसके विषय में संस्थान को प्रत्याशी के प्रशिक्षण के दौरान यदि जानकारी हो जाती है तो उसका नाम नामावली से काट दिया जाएगा ।
- (5) सभी उत्तर शब्दों में दिए जाएं न कि डैशों और बिन्दुओं में कोई कालम खाली या अपूर्ण न छोड़ा जाए ।
- (6) अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । इस आवेदन पत्र को भरने से पूर्व विवरणिका में निहित अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए ।
- (7) प्रवेश से संबंधित किसी भी न्यायिक विवाद का निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

10. आवेदन पत्र के साथ दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

भरे हुए आवेदन पत्र भेजने से पूर्व प्रत्याशी जांच कर लें कि उन्होंने निम्नलिखित मर्दे नत्थी कर दी हैं कि नहीं :

(प्रमाण पत्रों की केवल सत्यापित प्रतियाँ ही भेजी जाएं वे मूल प्रमाण-पत्र संलग्न न करें)

1. जन्मतिथि प्रमाण-पत्र बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाण-पत्र ।
2. निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र उन प्रत्याशियों के लिए जो आरक्षित श्रेणियों के अधीन प्रवेश ले रहे हैं ।
3. उस कालेज/स्कूल से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र जहां अंतिम रूप से शिक्षा प्राप्त की है ।
4. 10+2 योजना के अधीन 12 वीं परीक्षा पास करने/परीक्षा में बैठने का लिखित प्रमाण ।
5. 10+2 योजना के अधीन 12 वीं कक्षा की अंक तालिका ।
6. आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र पर चिपकाये गए हाल ही के पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो ।
7. स्वयं का पता लिखा पावती कार्ड ।
8. प्रत्याशी द्वारा विधिवत अपने हस्ताक्षरित प्रवेश-पत्र और पहचान-पत्र ।
9. प्रवेश-पत्र प्राप्त करने के लिए स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा (12 x 28 से.मी.)
10. आवेदक तथा उम्मीदवार के पिता/माता/पति/अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित घोषणा पर हस्ताक्षर ।
11. कृपया अन्तराल वर्षों के लिये दिये कारणों के पक्ष में शपथ पत्र/दस्तावेज संलग्न करें ।

12. सही तरीके से भरा हुआ आवेदन-पत्र एवं समस्त प्रमाण-पत्र सहित **अध्यक्ष, प्रवेश समिति, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110 002** को नियमित तिथि से पूर्व भेजा जाए ।
13. लिफाफा जिसमें आवेदन पत्र है पर "बी.पी.टी./बी.ओ.टी./बी.पी.ओ. प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र" लिखा जाए ।

नोट :

यदि कोई प्रत्याशी 10+2 योजना के अधीन 12 वीं कक्षा या किसी समकक्ष परीक्षा में बैठ रहा है अथवा बैठ चुका है तो उसे इस आशय का प्रमाण-पत्र स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य/प्रमुख की ओर से प्रस्तुत करना होगा । परन्तु उसे अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का लिखित प्रमाण, जिसमें वांछित विषयों का वर्णन हो तथा उसकी अंक तालिका की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि जिसमें प्राप्त अंकों का वर्णन हो 26 जून, 2009 तक जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश परीक्षा में उसके निष्पादन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 मई, 2009 (शक्रवार) है । उसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11. प्रवेश परीक्षा की तिथि पर उम्मीदवार के लिए जानकारी

बी.ओ.टी./बी.पी.टी./बी.पी.ओ. के लिए प्रवेश परीक्षा

समय अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाना है :

केन्द्र में रिपोर्ट करने का समय	प्रातः 9.30 बजे
सीट पर उम्मीदवार का बैठना	प्रातः 9.45 बजे
प्रश्न पुस्तिका का जारी करना	प्रातः 9.50 बजे
पुस्तिका की सील खोलना	प्रातः 9.55 बजे
प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करना	प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा समापन	दोपहर बाद 1.00 बजे

2. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी परिस्थिति में बीओटी/बीपीटी/बीपीओ प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए प्रातः 10.00 बजे के बाद परीक्षा हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।
3. प्रत्याशी अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाएं । प्रवेश पत्र के बिना किसी उम्मीदवार को परीक्षा में लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. प्रत्याशी अपने साथ एच बी पेंसिल, बॉल पेन, इरेजर और शार्पनर आदि परीक्षा में प्रयोग के लिए लाएं ।
 5. उपरोक्त 4 में वर्णित कोई भी स्टेशनरी वस्तु प्रवेश परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।
 6. उम्मीदवार को परीक्षा पुस्तिका में पेन/बाल प्वाइंट पेन से अपने विवरण के बारे में प्रविष्टि करनी है । उत्तर पत्र के साइड 1 पर बांछित ब्यौरा पेन/बॉल पेन से भरा जाना है जबकि साइड 2 पर (हस्ताक्षर को छोड़कर) सभी कोडीकृत जानकारी और उत्तर केवल उचित बबल्स/सर्किलों द्वारा एच बी पेंसिल से भरे जाने चाहिए ।
 7. अभ्यर्थी को परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र के अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए । कुछ भी पूछना हो तो उसे निरीक्षकों से स्पष्ट करा लेना चाहिए ।
 8. परीक्षा प्रश्न पत्र में 200 **वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न** होंगे जिनमें से भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान/गणित और अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान प्रत्येक के 50 प्रश्न होंगे ।
 9. बीपीटी/बीओटी का विकल्प देने वाले प्रत्याशियों को केवल भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान प्रश्नों को करना पड़ेगा ।
 10. बीपीओ का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों के लिए 10 + 2 में उनके कोर विषयों तथा अपने आवेदनों में उनके द्वारा विकल्प दिए गए विषयों पर निर्भर करते हुए या तो जीव विज्ञान या गणित के प्रश्नों को करना पड़ेगा ।
 11. प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है । कुल परीक्षा अंक 800 होंगे । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अतिरिक्त नकारात्मक अंक कुल प्राप्तांकों में से काट लिया जाएगा ।
 12. उम्मीदवारों को परीक्षा का आधा समय बीत जाने से पहले टॉयलेट इत्यादि हेतु परीक्षा हाल/कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी तथा परीक्षा पूर्ण होने से पहले परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
 13. उम्मीदवार को परीक्षा हॉल/कक्ष के अंदर कलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन आदि सहित सामान और वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
 14. उम्मीदवार की निजी वस्तुओं के खो जाने/चोरी हो जाने के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा ।
 15. उम्मीदवार को परीक्षा से एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र को देखने और अपने बैठने की सीट को नोट कर उसी दिन प्रातः बैठने संबंधी व्यवस्था देख लेने की सलाह दी जाती है ।
 16. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक को किसी उम्मीदवार/शिकायत/विवाद की जांच करने तथा तदनुसार निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।
 17. किसी प्रकार के कदाचार के प्रयास से बचने के लिए परीक्षा केन्द्र, परीक्षा कक्षों और व्यक्तिगत आवेदकों की वीडियोग्राफी की जायेगी । प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वे व्यवसायिकों व परीक्षा निरीक्षकों को सहयोग दें, क्योंकि ऐसा वास्तविक परीश्रमी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है ।
 18. **किसी प्रकार अनुचित साधन/अनाचार में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में आगे लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उम्मीदवार का सम्पूर्ण परीक्षा निष्पादन रद्द कर दिया जाएगा ।**
 19. छद्मरूपण के किसी भी प्रयास को विधि के अधीन सख्ती से निपटा जाएगा ।
 20. पेय जल को छोड़कर परीक्षा केन्द्र के हॉल के अन्दर कोल्ड ड्रिंक/चाय/काफी/आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
 21. सरकार के दिशा निर्देशों के मद्दे नज़र कृपया बताएँ की क्या आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) से संबंधित हैं या नहीं । कृपया परीक्षा के समय उपस्थिति तालिका में इसका उल्लेख करें ।
- नोट : कृपया प्रवेश परीक्षा के समय एक पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य लेकर आयें ।**
- 1.2. **विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना**
 - 1.2.1 जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे उन्हें परामर्श तथा अस्थायी प्रवेश के लिए निर्धारित तारीखों को बुलाया जाएगा । सभी दाखिले दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुष्टि के अधीन हैं ।
 - 1.2.2 **उपस्थिति**

बीपीटी/बीओटी/बीपीओ में प्रवेश पाये प्रत्याशी को उपस्थिति की अपेक्षित शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा, वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए वह प्रत्येक शैक्षिक वर्ष और निर्धारित इन्टर्नशिप अवधि में प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक विषयों में अलग-अलग तीन-चौथाई (75%) उपस्थिति होना अनिवार्य है इसके अतिरिक्त, जहां निर्धारित पाठ्यक्रमों में भ्रमण अध्ययन सम्मिलित है, उपस्थिति अनिवार्य होगी । उपस्थिति की कमी पूरी करने हेतु संस्थान अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कराने का दायित्व नहीं लेता । **यदि किसी छात्र को कम उपस्थिति का या बिना सूचना दिए कक्षा में अनुपस्थित होना पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त करने सहित उसे अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा अथवा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**

1 3(अ) रैगिंग की रोकथाम तथा दंड (अध्यादेश 15 - ग)

1. संस्थान के परिसर के अंतर्गत जिसमें कक्षाओं के कमरे, पुस्तकालय, गलियारे, विभाग एवं छात्रावास तथा दिल्ली विश्वविद्यालय तंत्र का कोई भाग और परिवहन समेत सार्वजनिक स्थान शामिल हैं, में छेड़छाड़ पर पूर्ण प्रतिबंध है ।
2. किसी व्यक्ति द्वारा अकेले अथवा सामूहिक छेड़-छाड़ करना अथवा छेड़-छाड़ का प्रयास करना गम्भीर अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा उससे इस अध्यादेश के अन्तर्गत निपटा जाएगा ।
3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए छेड़-छाड़ का साधारणतया अर्थ है वरिष्ठ छात्रों का अपने दर्जे अथवा बल द्वारा नए आए छात्रों अथवा जो छात्र किसी भी तरह से अन्य छात्रों से कनिष्ठ अथवा नीचे समझे जाते हैं उनके साथ किसी प्रकार से अकेले अथवा समूह में छेड़-छाड़ करना अथवा छेड़-छाड़ का प्रयास करना, इसमें ये शामिल हैं :-
 - (क) शारीरिक प्रहार अथवा धमकी अथवा शारीरिक बल का प्रयोग करना ।
 - (ख) छात्रों/छात्राओं के दर्जे, गरिमा व मान का उल्लंघन ।
 - (ग) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से संबंधित छात्रों के दर्जे गरिमा तथा सम्मान का उल्लंघन करना ।
 - (घ) छात्रों को हास्यास्पद स्थिति में डालना तथा उनके आत्म सम्मान को प्रभावित करना ।
 - (ङ) गाली गलौज करना, गन्दी भावः भंगिमाएं बनाना तथा इशारेबाजी करना ।
4. कालेज में प्रधानाचार्य, किसी विभाग के अध्यक्ष अथवा संस्था, कालेज प्राधिकारी विश्वविद्यालय, होस्टल, आवासीय हाल के प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे ।
5. उपरोक्त खण्ड-4 में किसी बात के होते हुए भी कुलानुशासक छेड़-छाड़ की किसी घटना में साथ-2 जांच कर सकेंगे तथा कुलपति को उन व्यक्तियों की सूचना देंगे जो छेड़-छाड़ की घटना में शामिल थे ।
6. कुलानुशासक छेड़-छाड़ करने वाले तथा छेड़-छाड़ के जनक तथा छेड़-छाड़ की घटना के प्रकार की एक आरम्भिक रिपोर्ट भी दे सकते हैं ।
7. यदि कालेज के प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष अथवा संस्था अध्यक्ष अथवा कुलानुशासक संतुष्ट है कि कुछ कारणों से इसे लिखित में रिकार्ड में लाया जाए, वह व्यवहारिक नहीं कि ऐसी कोई जांच की जाए वह तदानुसार कुलपति को ऐसा परामर्श दे सकते हैं ।
8. जब कुलपति इससे संतुष्ट हो कि ऐसी कोई जांच करना जरूरी नहीं है उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

9. खण्ड 5 अथवा 6 के अन्तर्गत रिपोर्ट मिलने पर अथवा खण्ड 7 के अन्तर्गत सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा खण्ड 3 क, ख, अथवा 9 ग में वर्णित छेड़-छाड़ की घटना होने को प्रकट करने संबंधी निर्णय पर कुलपति निश्चित वर्षों के लिए छात्र अथवा छात्रों को प्रतिबंधित करने के निर्देश अथवा आदेश दे सकते हैं ।
10. कुलपति छेड़-छाड़ अन्य मामलों में किसी छात्र को निकालने अथवा न निकालने, किसी अवधि के लिए किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश देने, किसी सम्बद्ध परीक्षा अथवा परीक्षाएँ जिनमें वह बैठ चुका है के परिणाम को रद्द करने का निर्देश दे सकते हैं ।
11. ऐसे मामले जिनमें छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर चुके है तथा इस अध्यादेश के अन्तर्गत दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध इसके नियम 15 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अथवा डिप्लोमा को वापिस लेने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी ।
12. इस अध्यादेश के प्रायोजन के लिए, छेड़-छाड़ के लिए उकसाना भी छेड़-छाड़ माना जाएगा ।
13. दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी संस्थान, इस अध्यादेश के अन्तर्गत जारी निदेशों/अनुदेशों का अनिवार्यतः पालन करेंगे तथा इस अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुलपति को सभी सहायता व सहयोग देंगे ।

1 3(ब) राघवन समिति की सिफारिशें

प्रत्येक प्रत्याशी/छात्र को, रैगिंग की किसी भी घटना की रोकथाम हेतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राघवन समिति की सिफारिशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लेना चाहिए । संस्थान इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा राघवन समिति की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

- पारस्परिक क्रियाओं के आधार पर समिति ने माना है कि रैगिंग समाज में एक अभिशाप है। हम पूर्णतः मानते हैं कि इसे रोकने के लिए अब नरम कदम नहीं बल्कि सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। समिति मानती है कि रैगिंग को रोकने के लिए मीडिया और समाज को भागीदार बनाना चाहिए ।
- उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर पर दाखिले के समय पर छात्रों द्वारा शपथ पत्र देना अनिवार्य होना चाहिए । (1) विद्यालय प्रवास प्रमाण पत्र/ चरित्र प्रमाण पत्र जिसमें विद्यार्थी का आचरण सम्बंधी प्रमाण पत्र भी हो । (2) जिम्मेदारी का एक लिखित शपथ पत्र, हर एक छात्र नये या पुराने से लेना चाहिए जिसमें कि रैगिंग के विरुद्ध सजा के प्रावधान/नियम होने चाहिए, जिसपर छात्र और अभिभावक का हस्ताक्षर होने चाहिए । इस तरह का शपथ पत्र पुनः लेना चाहिए, जब वह छात्रावास में रहना शुरू करे ।

- समिति यह मानती है कि यह अति आवश्यक है कि सभी संस्थाओं को यह मान्य होना चाहिए और कुछ उच्चस्तर के पदों पर जो अधिकारी हैं वह यह प्रमाणित करें कि इसका कठोरता से अनुपालन करेंगे।
- समिति यह अनुमोदित करती है कि प्रत्येक संस्था में "फ्रेसर दिवस" व 'स्वागत पार्टी' का आयोजन एक, दो सप्ताह के अन्दर होना चाहिए। शैक्षिक सत्र शुरू होने पर इस तरह के आयोजन में महाविद्यालय के सभी अध्यापक और पदाधिकारी शामिल हों और इसमें कोई भी रैगिंग की घटना घटित नहीं होनी चाहिए।
- समिति यह अनुमोदित करती है कि संस्थाओं में अपनी एक 'रैगिंग विरोध समिति' या 'एन्टी रैगिंग दल' होना चाहिए। इस समिति में आम समाज, पुलिस अधिकारी, मीडिया, गैर-सरकारी संस्थाओं का समावेश होना चाहिए। वयस्क गतिविधियों में महाविद्यालय के सदस्य, अभिभावक, प्रतिनिधि, नये छात्र और पुराने छात्र या उनके प्रतिनिधि पढ़ाने वाले तथा न पढ़ाने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व का समावेश होना चाहिए।
- प्रत्येक संस्था में एक 'निगरानी समूह' होना चाहिए जो निगरानी रखे, जिसमें पुराने एवं नये छात्रों का ध्यान रखें। इस समिति का गठन प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्त में होना चाहिए।
- समिति यह अनुमोदित करती है कि समिति गैर-सरकारी, वाणिज्यिक आवास/शिविर, संस्थाओं द्वारा बनाया जाना चाहिए जो प्रथम वर्ष के छात्रों के आस-पास प्रत्येक सत्र शुरू के तीन महीने तक यह सुनिश्चित करे कि रैगिंग खत्म हो चुकी है या नहीं।
- समिति अनुमोदित करती है कि गैर-सरकारी, वाणिज्यिक आवास और छात्रावास जो कि संस्था परिसर से बाहर हो, का पंजीकरण होना चाहिए। पुलिस के पास इस तरह के आवासों, छात्रावासों का निर्माण संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
- समिति यह भी सुझाव देती है कि रैगिंग से सम्बंधित कोई भी सूचना लिखित एवं अलिखित या तीसरा पक्ष द्वारा हो। शिकायतकर्ता को किसी भी कीमत पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह की शिकायत पर कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर होनी चाहिए।
- समिति अनुमोदित करती है कि बचाव और रैगिंग के विरुद्ध कार्यवाही सामूहिक रूप से हर स्तर पर संस्था के अधिकारियों पर होनी चाहिए।
- आवास संरक्षक हर वक्त आवास में उपलब्ध होना चाहिए और संस्था द्वारा संरक्षक को एक मोबाईल फोन देना चाहिए।
- समिति सलाह देती है कि विश्वविद्यालय के हर एक स्तर पर जांच हेतु, जांच समिति होनी चाहिए जो कि महाविद्यालय और संस्थाओं के बीच सहयोग करे।
- समिति सलाह देती है कि विश्वविद्यालय प्रमुख द्वारा एक समिक्षा रिपोर्ट महाविद्यालय के कुलपति को सौंपी जानी चाहिए। सप्ताहिक सूचनाओं के पहले तीन माह के दौरान संस्था के सत्र चालू होने और उसके बाद की सूचनाओं की प्रत्येक वस्तुस्थिति के रैगिंग विरोधी के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए।
- समय के आधार पर समिति अनुमोदित करती है कि विद्यार्थियों के आवास/शिविर के पास सार्वजनिक फोन/मोबाईल फोन होना चाहिए।

1.4. आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश

नोट : (क) कृपया आवेदन पत्र को भरने से पहले विवरणिका को अच्छी तरह से पढ़ लें।

(ख) कृपया केवल नीले बॉल प्वायन्ट पेन का ही प्रयोग करें।

1.4.1 उम्मीदवार द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख से आवेदन-पत्र भरा जाना चाहिए।

यदि आपने हमारी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड किया हो तो संलग्न किए गए बैंक ड्राफ्ट का ब्योरा भरें। बिना अपेक्षित राशि के बैंक ड्राफ्ट वाले डाउनलोड किए गए आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.4.2 पाठ्यक्रम के विकल्प की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। अपने स्रोतों से या हमारी वेबसाइट से पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और प्राथमिकता के क्रम में संबंधित कालों में भरे। अभ्यर्थियों को परामर्श देते समय केवल उनके व्यक्तिगत प्राथमिकता और योग्यता सूची में स्थिति क्रम में पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी। सीट की उपलब्धता व योग्यता सूची में प्रत्याशी की स्थिति के अधीन परामर्श/प्रवेश के समय प्राथमिकता में किसी परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।

आप किसी एक कोर्स या दो कोर्स अथवा तीनों कोर्सों के चयन का क्रम निम्न प्रकार से कर सकते हैं-

बीपीटी	1	या	बीपीटी	1
बीओटी			बीओटी	2
बीपीओ			बीपीओ	

बीपीटी	1	या	बीपीटी	3
बीओटी	2		बीओटी	1
बीपीओ	3		बीपीओ	2

- 1 4 .3 अपना हाल ही के पासपोर्ट आकार का अपने स्कूल/कालेज के प्रिंसिपल या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ लगाएं । आवेदन पत्र पर लगाने के उपरान्त फोटोग्राफ को अनुप्रमाणित करा लें ।
- 1 4 .4 अपने प्रवाहित हस्तलेख में फोटोग्राफ के लिए स्थान के नीचे दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर करें । बड़े अक्षरों (केपिटल लेटर्स) में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे ।
- 1 4 .5 अपने बाएं तथा दाएं अंगूठों की छाप इनके लिए निर्धारित बॉक्सों में लगाएं ।
- 1 4 .6 बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में अपना नाम उसके लिए दिए गए बॉक्सों में लिखें । अपने नाम के लिए आवश्यक बॉक्सों को गिन लें । नाम और उपनाम के मध्य एक बॉक्स छोड़ दें । यदि बॉक्सों की संख्या कम हो तो आप बाक्स उसमें और जोड़ लें ।
- 1 4 .7 नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अपनी जन्म-तिथि दिन, माह और वर्ष के संदर्भ में लिखें:

जन्म तिथि

दिन माह वर्ष

1	7	0	6	1	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 4 .8 अपनी उम्र 01 अक्टूबर, 2008 को बताएं उदाहरणार्थ किसी उम्मीदवार की यदि उपर्युक्त जन्म-तिथि हो तो वह निम्नलिखित आयु का होगा:

दिन

माह

वर्ष

1	4
---	---

0	3
---	---

1	9
---	---

- 1 4 .9 नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अपना जन्म-स्थान नगर/जिला और राज्य के संदर्भ में लिखें:

नगर/जिला

राज्य

रोहतक

हरियाणा

- 1 4 .1 0 अपने अधिवास का स्थान अर्थात् उम्मीदवार के पिता का मूल राज्य/जिला बताएं ।
- 1 4 .1 1 उचित बॉक्स में अपने लिंग के बारे में का निशान लगाएं ।
- 1 4 .1 2 उचित बॉक्स में अपनी वैवाहिक स्थिति पर का निशान लगाएं ।
- 1 4 .1 3 (क) अपनी राष्ट्रीयता को लिखें । यदि आप पासपोर्ट धारी हैं तो इसका उल्लेख, जैसा कि आपके पासपोर्ट में दिया गया है, किया जाना चाहिए ।

(ख) अपनी मातृभाषा का उल्लेख करें ।

- 1 4 .1 4 आवेदन पत्र में कालम 1 4 .1 4 से 1 4 .1 7 और से विवरण-पत्रिका में सीटों की संख्या के बारे में कालम 4 को
- 1 4 .1 8 सावधानीपूर्वक पढ़ें और संबंधित बाक्स (बॉक्सों में का निशान लगाएं । संबंधित श्रेणी के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें ।
- 1 4 .1 9 पत्राचार के लिए अपना पता और स्थायी पता बड़े अक्षरों में उसके लिए दिए गए बाक्सों में लिखें । प्रत्येक शब्द के बाद
- 1 4 .2 0 एक बाक्स खाली छोड़ दें । पिन कोड का भी उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि डाक में कोई विलम्ब न हो । तत्कालिकता के मामलों में आपसे पत्राचार/सम्पर्क करने के लिए टेलीफोन/फैक्स नम्बर (यदि कोई हो) तो दिया जाना चाहिए ।
- 1 4 .2 1 अपने पिता/पति/अभिभावक का नाम और माता का नाम से अपने हस्तलेख से साफ-साफ लिखें । अपने अभिभावक के
- 1 4 .2 5 व्यवसाय, मासिक आय तथा सम्बंध का उल्लेख करें ।
- 1 4 .2 6 उचित कालमों में मैट्रिकुलेशन/10 वीं कक्षा से आगे की अपनी शैक्षिक अर्हता भरें । यदि दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो एक अलग कागज संलग्न करें ।
- 1 4 .2 7 उचित कालमों में का निशान लगाएं और यदि आपने इस वर्ष परीक्षा दी हो तो अपने अर्हक 1 0 + 2 परीक्षा में परिणाम की घोषणा की संभावित तारीख दें ।
- 1 4 .2 8 यदि आपने अपनी 1 0 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो कोर विषयों अर्थात् भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में यदि आपने तीनों पाठ्यक्रमों (बीपीटी.बीओटी तथा बीपीओ) के लिए विकल्प दिया हो और भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी में यदि आपने केवल बीपीओ के लिए विकल्प दिया हो तो प्राप्तांकों को भरें । कृपया कोर विषयों का उल्लेख करें जिनमें आप प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं । गणित के कोर विषय में प्रश्नों का उत्तर देने वाला उम्मीदवार बीपीटी और बीओटी में दाखिले के लिए पात्र नहीं होगा इसलिए कोर विषयों को भरने से पूर्व अनुदेशों और विवरण-पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) को सावधानीपूर्वक पढ़ लें । प्रमुख विषयों के कुल मिलाकर प्रतिशत की गणना आपकी पात्रता का तथा प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आपको विषयों की अनुमति का निर्णय करने में की जाएगी ।
- 1 4 .2 9 उम्मीदवार द्वारा स्वयं तथा अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर की जाने से वाली घोषणा को पढ़ लें । यदि संस्थान के ध्यान में
- 1 4 .3 0 मानदंडों/नियमों के उल्लंघन की कोई घटना लाई जाती है तो वे इन घोषणाओं के स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
- "केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए" शीर्षक पृष्ठ पर कुछ भी नहीं लिखें ।

15. प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र

15.1 (क) अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए : जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त उप कलेक्टर/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त प्रसेंडेसी मजिस्ट्रेट/अति चीफ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो जहाँ प्रत्याशी और अथवा उसका परिवार सामान्यतया रहता है इस क्षेत्र का सब डिवीजनल अधिकारी/प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) द्वारा जारी किया जाए ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.....
 पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती.....
 ग्राम/नगर.....
 जिला मण्डल.....राज्य/संघ
 राज्य क्षेत्र.....की.....
 जाति से सम्बद्ध है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 (साफ अक्षरों में)
 पदनाम.....

स्थान व तारीख
 (कार्यालय की मोहर)

15.2 विकल्प

(केवल उन व्यक्तियों के लिए जो रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा बसे हैं ।)

श्री/श्रीमती.....पिता/माता/श्री/श्रीमती.....ग्राम/नगर.
जिला मण्डल.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....
को.....
 (जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम)

द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सं.के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि वह.....जाति से है जिसे.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

हस्ताक्षर.....
 पूरा नाम.....
 (साफ अक्षरों में)
 पदनाम.....

स्थान व तारीख
 (कार्यालय की मोहर)

कृपया जो लागू न हो उसे काट दें । केवल स्कूल के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य या राजपत्रिक अधिकारी की सत्यापित प्रतिलिपियां/फोटो प्रतियां ही संलग्न करें ।

16. बैचलर आफ फिजिकल थरेपी / बैचलर आफ आकूपेशनल थरेपी / बैचलर आफ प्रोस्थेटिक्स एण्ड आर्थोटिक्स में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों के परामर्श हेतु दिशा निर्देश ।

1. परामर्श के लिए प्रत्याशी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है ।
2. परामर्श हाल में प्रत्याशी के साथ केवल एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी ।
3. परामर्श हाल में पहुंचने का समय प्रातः 10.00 बजे है ।
4. प्रत्याशियों को परामर्श हाल में प्रवेश केवल प्रातः 10.30 बजे तक दिया जायेगा ।
5. यदि कोई प्रत्याशी किसी कारण से परामर्श पत्र में दिए गये दिन, तारीख व समय पर परामर्श के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो वह अपने प्रवेश का अवसर खो देगा तथा सीट वरिष्ठता सूची क्रम में अगले प्रत्याशी को प्रस्तावित कर दी जायेगी ।
6. प्रत्याशी को प्रवेश के लिए वांछित मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे जिन्हें संस्थान में प्रवेश के समय से प्रत्याशी को दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकित हो जाने के समय तक रखा जायेगा ।
7. प्रत्याशियों को योग्यता सूची क्रम में उनके रैंक के अनुसार बुलाया जायेगा ।
8. प्रत्याशियों को योग्यता सूची क्रम में उनके रैंक के अनुसार आवेदन पत्र में उनके द्वारा दिए गये विकल्प के अनुसार वैकल्पिक पाठ्यक्रम में सीट की उपलब्धता के आधार पर पेशकश की जायेगी ।
9. यदि प्रत्याशी प्रथम विकल्प को मना करता है तो द्वितीय विकल्प स्वतः देय नहीं होगा ।
10. प्रत्याशियों को योग्यता सूची में उसकी योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा, यदि उसे उसकी इच्छा का विकल्प नहीं मिलता तो उसका नाम उस पाठ्यक्रम की प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा तथा जैसे ही सीट रिक्त होगी, प्रतीक्षा सूची में योग्यता के अनुसार ऐसे प्रत्याशी को पेशकश की जायेगी ।
11. योग्यता सूची क्रम में बराबरी होने की स्थिति में प्रत्याशी के 10+2 (पी.सी.बी.ई.) विषयों के अंक प्रतिशत पर विचार किया जायेगा ।
12. योग्यता क्रम सूची व 10+2 (पी.सी.बी.ई.) विषयों के अंक प्रतिशत में बराबरी होने की स्थिति में प्रत्याशी की आयु पर विचार किया जायेगा और वैकल्पिक विषय में आयु में बड़े प्रत्याशी को प्रवेश दिया जायेगा ।
13. परामर्श के तत्काल उपरान्त प्रत्याशी को संस्थान में अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा और उसे परामर्श वाले दिन ही फीस जमा करानी होगी ।
14. फीस या तो नकद जमा करानी होगी अथवा निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीच्यूट फार द फिजिकली हैण्डिकैप्ड के पक्ष में नई दिल्ली पर देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी ।
15. यदि कोई प्रत्याशी परामर्श के दिन फीस जमा करने में असफल रहता है तो सीट योग्यता सूची क्रम में अगले प्रत्याशी को पेश की जायेगी ।

16. पुस्तकालय प्रतिभूति, शिक्षण शुल्क, चिकित्सीय प्रयोगशाला शुल्क और खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क प्रत्याशी के एक बार कक्षाओं में उपस्थित हो जाने के उपरान्त लौटाया नहीं जायेगा तथापि इसे यदि प्रत्याशी प्रवेश के लिए द्वितीय परामर्श की तारीख से एक दिन पूर्व संस्थान से हट जाता है तो इसे लौटाया जायेगा । इसके उपरान्त विभाग से बेवाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही पुस्तकालय प्रतिभूति लौटाई जायेगी । एक बार कक्षाओं के आरम्भ हो जाने पर प्रवेश शुल्क, प्रतिभूति राशि, पुस्तकालय प्रतिभूति जमा, शिक्षण शुल्क, चिकित्सीय एवं प्रयोगशाला शुल्क व खेलकूद और सांस्कृति कार्यक्रम शुल्क वापिस नहीं किए जाएंगे । प्रवेश शुल्क एक बार अस्थायी प्रवेश ले लेने के उपरान्त लौटाया नहीं जाता । प्रतिभूति राशि पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने पर लौटाई जाती है । यदि कोई प्रत्याशी प्रवेश के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ जाता है तो इसे नहीं लौटाया जायेगा ।
17. छात्रावास शुल्क छात्रावास में स्थान उपलब्ध होने पर ही लिया जायेगा, यदि प्रत्याशी को शुल्क लेने के उपरान्त छात्रावास में स्थान नहीं दिया जाता है तो छात्रावास शुल्क लौटा दिया जायेगा ।
18. परामर्श पत्र का जारी होना, प्रत्याशी को संस्थान में प्रवेश के लिये अधिकार नहीं देता । संस्थान में प्रवेश योग्यता सूची में रैंक, आवेदन पत्र में दिए गये पाठ्यक्रम के विकल्प, पात्रता शर्तों को पूरा करने तथा अस्थायी प्रवेश के लिए क्लेम करने हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है ।
19. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में विवरणिका का अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा ।

प्रवेश हेतु प्रथम परामर्श की तिथियां

सामान्य श्रेणी	-	15 जुलाई, 2009
अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् अनुसूचित जाति	-	16 जुलाई, 2009
अनुसूचित जनजाति, विकलांग, एस.टी.एन.ए., सी.डब्ल्यू.ए.पी.पी. व अन्य अभ्यर्थियों हेतु	-	17 जुलाई, 2009

Date of First Counselling for Admission

Gen. Category	-	15 th July 2009
OBC & SC Candidates	-	16 th July 2009
ST, PH, STNA, CWAPP and other candidates	-	17 th July 2009

1. INTRODUCTION

The Institute for the Physically Handicapped, New Delhi was registered as a society in the year 1976 under the Societies Registration Act of 1860. It is as an autonomous organisation under the administrative and financial control of Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India. It has been renamed as Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped in the year 2002.

The main objectives of the Institute include, manpower development and to serve the persons with locomotor impairment of all age groups. In its pursuit of alleviating the difficulties of people with disabilities, the Institute runs following courses of 4½ yrs duration, affiliated to University of Delhi.

- (i) Bachelor in Physiotherapy (B.P.T)
- (ii) Bachelor in Occupational Therapy (B.O.T)
- (iii) Bachelor in Prosthetics & Orthotics (B.P.O)
The rehabilitation services provided by the Institute are as follows-
 - (a) Assessment of the persons/patients with physical impairments to specify their rehabilitation needs.
 - (b) Workshop for fabrication of Orthotic and Prosthetic devices eg. calipers, splints, artificial limbs, ambulatory & mobility devices etc.
 - (c) Out patient services of Physiotherapy, Occupational Therapy and Speech Therapy
 - (d) Social psychological and vocational counselling services.
 - (e) Integrated primary school

2. PROFESSIONAL COURSES

2.1 Physiotherapy is a health related profession that deals with therapeutic management of body dysfunction, by physical modalities. The aim of this therapeutic system is to promote optimal human health and function through the application of scientific principles. To learn the skills of Physiotherapy it is essential to acquire knowledge and application of the basic health sciences and clinical science.

A Physiotherapist is able to assess, correct or alleviate acute or prolonged movement dysfunction. Physiotherapist may work in hospitals, rehabilitation centres, schools for disabled children, geriatric centres, nursing homes and sports settings. Physiotherapist can also be self employed, clinical practitioners, academic teachers and researchers.

2.2 Occupational Therapy is also a health related profession that deals with therapeutic management of various neuro-muscular and musculo skeletal dysfunctions and mental disorders including mental retardation. The aim is to regain the lost functions in activities of daily living, development of different working skills including maintenance of fine coordination of an individual who suffers from any disorders listed above.

To learn skills of Occupational Therapy also it is essential to acquire knowledge and application of the basic health sciences and clinical sciences. An Occupational therapist is able to assess, correct or alleviate dysfunctions in terms of human activities. They can help in rehabilitation of children or persons with locomotor impairment, mental retardation or mental illnesses. Occupational Therapist may work in hospitals, rehabilitation centres, schools for the children with disabilities, drug de-addiction centres, psychiatry clinics, centres for the Mentally Retarded and child development centres.

Occupational Therapists can also be self employed, clinical practitioners, academic teachers, managers, researchers, consultants, advisors, etc. in their field.

2.3 Prosthetics and Orthotics is a profession that deals with fabrication and fitment of rehabilitation aids and appliances for the disabled persons. Prosthetist provides care to patients with partial or total absence of limb by designing, fabricating and fitting the patient with prosthesis or artificial limb to replace the individual's functional and cosmetic needs. The prosthetist takes measurements, selects the appropriate materials and components and has to make all necessary modifications in the prosthesis to fit it to the patient. He also educates the patient how to take care of it for optimal use.

Orthotist provides supportive care to the patients with neuromuscular and musculoskeletal disorders with

an orthosis. The orthotist is responsible for evaluating the functional and cosmetic needs of the weaker part of the body, designing the appliance as per needs, fabricating, aligning and fitting the orthosis. He also educates the patients about the appropriate use and care of orthosis.

3. MINIMUM ELIGIBILITY CONDITIONS

3.1 **Qualification**-Candidates seeking admission to the Ist Year of BPT, BOT and BPO must have passed one of the following examinations.

(a) Senior School Certificate Examination of the Central Board of Secondary Education (12 th standard of 10+2 system) or an examination recognised as equivalent thereto with Physics, Chemistry, Biology and English (PCBE) for BPT/BOT,

or

(b) Physics, Chemistry, Mathematics/Biology and English (PCME/PCBE) for BPO., provided the student has passed in each subject separately.

or

(c) Indian School Certificate Examination of the Council for the Indian School Certificate Examination or equivalent with PCBE for BPT/ BOT and PCBE/PCME for BPO.

or

(d) Intermediate/Pre-medical Examination or equivalent with PCBE for BPT/BOT and PCBE/ PCME for BPO.

(e) The candidate who have passed one of the above examinations with PCME are eligible for BPO course only.

3.2 **Percentage of Marks**-The candidate should have a minimum of 50% marks in aggregate in above mentioned four subjects for general category and 45% for SC/ST/PH/CWAPP categories each.

3.3 **Age** - As on 1st day of October 2009, the maximum age limit for General category & others is **23 yrs.** and in case of SC/ST/PH is **28 yrs.**

3.4 The candidates who have passed their **10+2 Examination** before the year 2006 and have **discontinued their regular studies for more**

than 3 years are not eligible to appear in the entrance test.

4. BASIS OF ADMISSION

4.1 The selection of candidates for admission to BPT/ BOT/BPO will be made on the basis of merit in the Entrance Test. There will be common Entrance Test for B.O.T, B.P.T. and B.P.O. courses which will be conducted by University of Delhi. The test will be of three hours duration and shall consist of multiple choice, objective type questions based on Senior Secondary School Certificate (10+2) curriculum.

4.2 There will be one question paper consisting of four parts A, B, C, and D as mentioned below :

Part	Subject	Total Questions
A.	Physics	50
B.	Chemistry	50
C.	Biology/Mathematics	50
D.	Gen. Knowledge and English	50

4.3 The candidates opting for BPO course will have the option to attempt questions either in Biology or Mathematics depending upon their subjects in qualifying examination (i.e. 10 + 2). Such candidates will opt the subject in the Application form in the appropriate column to appear in the test. Rest of the questions in the subjects of Physics, Chemistry, Gen. Knowledge and English will be same for all candidate.

4.4 No change in the choice of subject opted at the time of filling up the application form will be allowed at the time of entrance test.

4.5 **All Indian candidates who apply for admission to the courses of BPT, BOT and BPO run by the Institute will have to appear in the Entrance Tests as above.**

5. NUMBER OF SEATS

5.1 **Reservation of seats**-The total number of seats will be 49 each in Occupational Therapy and Physiotherapy and 28 seats in Bachelor of P & O. The

distribution of seats to different category of candidates is as follows :

Course	Total Seats	Gen.	SC	ST	PH	OBC	STNA	CWAPP	FN
BPT	49	19	8	4	1	10	3	2	2
BOT	49	20	7	4	1	10	3	2	2
BPO	28	14	4	2	1	6	-	1	-
Total	126	53	19	10	3	26	6	5	4

5.2 Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates (SC/ST)

15% and 7½% of the total numbers of seats in each course are reserved for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates respectively.

A Scheduled Caste/Tribe candidate while applying for appearing in the entrance test for admission in any of the course will be required to submit a certificate to the effect that he/she belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category from the competent authority.

5.3 Other Backward Classes (OBC)

In accordance to OM No.1-1/2005-UIA/847 dated 20.04.2008 of Min. of HRD, the reservation to the other backward classes students has to be provided as per provision in the "Reservation in Central Education Institution Act 2006". 27% seats reservation for OBC candidates is being implemented in the Institute over three years period in three phases like 10%, 10% and 7% in the years 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 respectively. This year 20% seats will be reserved for candidates belonging to other backward classes.

The candidates claiming reservation under this category will have to submit certificate in support of their claim, on the format provided in the prospectus, from the competent authority. They should also submit certificate to the effect that they do not belong to the creamy layer.

5.4 Physically Handicapped : One seat each in Physiotherapy, Occupational therapy and Prosthetics and Orthotics courses has been reserved for the physically disabled persons provided they are in the merit list and are found physically medically fit to pursue the course. They should also submit a certificate of permanent physical impairment from

competent medical authority to stake their claim under this category.

The Physically handicapped candidate should be able to perform the job required during the training in BPT/BOT/BPO course.

The candidate must have adequate standing balance and his or her upper extremities' functions should be adequate to be able to perform required manoeuvres.

The candidate provisionally selected under Physically Handicapped category will have to appear before the Medical Board constituted by University of Delhi at its World University Health Centre, University of Delhi for this purpose. The candidate declared fit, by the medical board, to undergo the course will only be given admission in the particular course.

5.5 Provision for Children/Widows of Armed Personnel including Paramilitary Personnel killed or Disabled during Hostilities (CWAPP)

Widows/Children of Officers and Men of the Armed Forces including Para Military Personnel who have been killed/disabled while on duty will be considered for admission on two seats in each in BPT & BOT and one seat in BPO course reserved for the Widows/Children of the Officers and Men of the Armed Forces including Para Military personnel killed disabled in action in wars 1947-48 onwards.

In order to become eligible for the above concession the Widow/Children of the officer and Men of the Armed Forces including Para Military personnel will be required to produce an entitlement certificate from any of the following authorities.

- Secretary, Kendriya Sainik Board, Delhi
- Secretary, Rajya/Zila Sainik Board
- Officer-in Charge, Record Office
- 1st class Stipendiary Magistrate

5.6 Foreign National (FN)

- 2 seats each in Occupational Therapy and Physiotherapy will be reserved for Foreign Nationals provided they fulfil the minimum eligibility conditions and have passed the last qualifying examination (i.e. equivalent to 10+2) from a Foreign University/Board (except from Bhutan).

- (ii) The Foreign Nationals who have passed their qualifying examination from any Indian /School/ Board/University will not be eligible for admission under this category.
- (iii) **The candidate belonging to Foreign National category need not appear in the Entrance Test.** However their application after due recommendation from their Govt. should reach Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India for consideration.
- (iv) Their application should also be recommended by the foreign student advisor of University of Delhi.
- (v) Once their application after due formalities from Govt. of India & University of Delhi reaches the Institute the equivalency of their qualification will be examined by the competent authority before being given provisional admission to the course depending upon the vacancy and their rank in the merit list of foreign nationals.

5.7 Candidates from the States where similar Teaching Facilities are not available (STNA)

3 seats each in Occupational Therapy and Physiotherapy courses are reserved for the candidates coming from the States/UTs where similar teaching facilities are not available, provided they come in the merit, based on the entrance test. **To become eligible for consideration under this category, a candidate will have to produce a certificate from commissioner/ secretary of the State Govt. in the health or welfare department to this effect that such teaching facilities are not available in their State.** The list of such States/ UTs as provided by Ministry of Social Justice & Empowerment is as follows :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| (i) Andman & Nicobar Islands | (viii) Lakshdweep |
| (ii) Arunachal Pradesh | (ix) Manipur |
| (iii) Assam | (x) Meghalaya |
| (iv) Daman & Diu | (xi) Mijoram |
| (v) Himachal Pradesh | (xii) Nagaland |
| (vi) Jammu & Kashmir | (xiii) Sikkim |
| (vii) Jharkhand | (xiv) Tripura |

5.8 Dereservation of Seats

In case the eligible candidates belonging to PH, STNA, CWAPP & FN categories are not available, the seats will be treated unreserved and candidates from the general category will be considered against such seats in order of merit.

5.9 Cancellation/Application Form/Admission

Any student seeking admission on wrong information in respect of age, category , subject of passing and percentage of marks, etc in her/ his application form her/his admission will be cancelled at any time whenever it comes to the notice of the University/Institute during the course.

6. SALE OF PROSPECTUS & SUBMISSION OF APPLICATION FORM

- 6.1 Prospectus cum Application Form will be available on the sale counter w.e.f. **15th April, (Wednesday) 2009.** The Application for admission on prescribed form issued by the Institute for the academic year 2009 -2010 should be submitted to the **Chairman, Admission Committee, Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, 4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002** on or before **29th May, (Friday) 2009 by 5.00P.M.** sharp only. Each application should be accompanied by the documents listed in the GENERAL INSTRUCTIONS to the candidates. Last date of despatch of prospectus by post is **22nd May, (Friday) 2009.**

THE INSTITUTE DOES NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR DELAY IN THE RECEIPT OR LOSS OF APPLICATIONS IN POSTAL TRANSIT.

- 6.2 **Date of Entrance Test-** The Entrance Test will be held in Delhi on **14th June, (Sunday) 2009** as follows :

BPT/BOT/BPO - 10 A.M. to 1.00 P.M.

In case a candidate does not receive his/her Admit Card/Cards by **10th, June, 2009**, he/she may immediately contact/write to the **Chairman, Admission**

Committee Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for Physically Handicapped, 4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110002. Duplicate Admit Cards shall be issued to the candidates on 12th and 13th June, 2009 between 10.00 A.M. to 4.00 P.M. in the Institute only.

No duplicate admit card will be issued on 14.6.09 at examination (Test) Centre.

No candidate shall be admitted to the Examination Hall unless he/she holds an Admit Card issued by the Institute.

6.3 Result- The result will be published tentatively on 29th June, 2009 (Monday) in the Institute & will also be made available on the website of the Institute **www.iphnewdelhi.in**

The Institute does not issue or supply any marks sheet to the candidates for their appearing in the entrance test and no correspondence on this subject will be entertained. Only successful candidates in the merit list will be called for counselling and provisional admission on a stipulated date and time as decided by the Institute.

6.4 Cost of Prospectus including Fee for the Entrance Test

The Prospectus-cum-application form can be purchased from Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, 4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110002 at its counter against payment of Rs.500/- for General Category and Rs.250/- for SC/ST candidates (on producing the Demand Draft payable at New Delhi in favour of "**Director, Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi**") and with their caste certificate in case of reserved category. General and other categories candidates desiring to obtain Prospectus-cum-application form by Regd.Post may send demand draft of **Rs.550/-** whereas SC/ST category candidates may send demand draft of Rs. 300/- (with their caste certificate) as mentioned above along with a self addressed, unstamped envelop (Size 12 x 28 cms.) **to the Director, Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, 4, Vishnu Digambar Marg, New Delhi-110002.** The form and prospectus will be sent to them by **Speed post/Registered post/Courier.** However, the Institute does not take any

responsibility for any loss in transit or its late delivery due to postal delays. Out station candidates are therefore, advised to send their request for application form well in advance before the closing date of sale of prospectus cum application form.

Application form can also be downloaded from our website www.iphnewdelhi.in. However such down loaded application forms should be accompanied by demand draft of Rs.550/- for General and other category and Rs.300/- for SC/ST category candidates.

7. COURSE FEE

The candidates called for counselling will have to pay following fees on the scheduled date of admission to the course if granted provisional admission in the particular course of their choice.

S.No.	Particulars	Amount	Remarks
1.	Admission Fee	1200.00	once only (Non-Refundable)
2.	Caution Money	10000.00	(Refundable only on successful completion of the course)
3.	Library Security Deposit	1000.00	(Refundable)
4.	Tuition fee	7200.00	Per annum (Non refundable once the classes start)
5.	Hostel Fee	7200.00	Per annum (To be deposited only on allotment of hostel)
6.	Therapeutic Laboratory Fee	2400.00	Per annum (Non refundable once the classes start)
7.	Sports and Cultural Fee	600.00	Per annum (Non refundable once the classes start)
8.	Enrolment Fee	-	As per Delhi University
9.	Examination Fee	-	As per Delhi University
Total		22,400.00	+7200 Approximately

Note :

- Sl. No. 1 Admission fee is not refundable once the provisional admission has been completed.
- Sl. No. 2 Caution Money is refundable either before commencement of classes or on successful completion of the course. In case a candidate leaves the course after classes have commenced and before completion of course it will not be refunded.
- Sl. No. 4, 6 & 7 will not be refunded once the class starts. However these will be refundable if a candidate

withdraws from admission one day before the date of second counselling for admission or one day before commencement of classes. (whichever is earlier) Sl. No. 3, Library security will be refunded on production of no dues from the concerned department and Library.

- (iv) Sl. No. 5 Hostel fee will be charged only on allocation of room in the Hostel. If deposited it will be refundable if the candidate has not been given accommodation in the Hostel.
- (v) Sl. No. 8 and 9 once deposited in the University will not be refundable.

8. HOSTEL

- (i) Limited accommodation is available in the Institute hostel to the outstation candidates depending upon the vacancy. Residents of Delhi will not be provided Hostel seats. Hostellers are governed by the rules and regulations as laid down in the hostel manual.
- (ii) Hostel Fee @Rs. 7200/- per annum on account of rent, electricity, water and maintenance charges will be levied only on allotment of hostel.
- (iii) In case seats are not available in the Institute hostel, the candidates will have to make their own arrangement to stay in Delhi. Hostel accommodation will be allocated on year to year basis.
- (iv) Failed students/Ex-students will not be allowed to stay in hostel. However, reallotment to failed students may be considered on their passing the annual/supplementary examination, subject to availability of vacancies.

9. GENERAL INSTRUCTIONS

- (i) The attached application form should be filled in by the candidate in his/her own handwriting after reading the following instructions carefully. **The application filled by a person other than candidate himself is liable to be rejected.**
- (ii) The candidate should sign application form, Identity cards & Admit card in his/her flowing and running handwriting. Application forms signed in capital letters will not be accepted and candidate will not be allowed to appear in the test.

(iii) Furnishing of false information or suppression of any factual information in the application form would be a disqualification and likely to render the candidate unfit for admission to the course applied for.

(iv) If any false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the application form, comes to notice at any time during a candidate's undergoing training in the Institute, his/her name will be struck off the rolls.

(v) All answers must be given in words and not by dashes and dots, No column should be left blank or incomplete.

(vi) Incomplete application will be summarily rejected. Instructions contained in the prospectus should be read carefully before filling up the application form.

(vii) ***Delhi High Court shall have the jurisdiction to settle any legal dispute regarding admission.***

10. CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE FURNISHED WITH APPLICATION FORM

Before dispatching the application form the candidate should check against each of following items whether he/she has enclosed the same or not :-

Applicants are advised to submit only attested true photocopies of their certificates and they should not enclose original certificates with their application forms.

1. Date of Birth Certificate, Matriculation, Senior Secondary School Certificate issued by Board/ University.
2. Certificate from the prescribed competent Authority for the Candidate seeking admission under the reserved categories.
3. Certificate of good conduct from the School/ College last attended not later than 6 months.
4. Documentary evidence of having passed appearing the 12th standard examination under 10+2 scheme

5. Marks Sheet of 12th standard board examination of 10+2 scheme.
6. 3 Recent Coloured Passport size Photographs placed at box spaces given on 'Application form, Admit card and Identity card.
7. Self-addressed Acknowledgement Card.
8. Admit Card and Identity Card duly signed by candidate in running/flowing handwriting.
9. Self-addressed unstamped envelope (12 x 28 cms) for receiving Admit Card.
10. Declaration on Application Form duly signed by applicant as well as Father/Mother/Husband/Guardian of the candidate.
11. Affidavit in support of information given about gap year/s.
12. Duly filled application form alongwith all the documents should be sent to the-
**Chairman, Admission Committee,
Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the
Physically Handicapped, 4, Vishnu Digamber
Marg, New Delhi-110 002**
13. The envelop containing application form should be superscribed with "Application for Entrance Test of BPT/BOT/BPO".

Note:-

In case a candidate is appearing or has appeared in the 12th Class Examination under 10+2 Scheme or an equivalent examination he/she should submit a certificate to this effect from the Principal/ Head of the College. He/She shall have to provide a documentary evidence of his/her having passed the qualifying examination with the required subjects and attested photocopy of the marks sheet showing required percentage of marks obtained by him/her latest by 26th June 2009 failing which his/her performance at the Entrance Test will not be considered.

The last date of receipt of duly filled forms is 29th May, (Friday) 2009 Till 5.00 P.M. only. Applications received thereafter will not be considered.

11. INFORMATION FOR THE CANDIDATE ON THE DATE OF ENTRANCE TEST

Entrance Test for BOT/BPT/BPO

Time Schedule to be strictly adhered to by the candidates reporting for Entrance Test.

Reporting Time at the Centre	:	9.30 A.M.
Candidates to Occupy Seats	:	9.45 A.M.
Issue of Question Booklet	:	9.50 A.M.
Breaking open of the Seal of Booklet	:	9.55 A.M.
Start Answering on Answer Sheet	:	10.00 A.M.
Test Concludes	:	1.00 P.M.

2. **No candidate will be allowed entry in the Examination Hall after 10.00 A.M. in test for BOT/BPT/BPO under any circumstances.**
3. Candidate must bring Admit Card with him/her. Candidate without admit card will not be permitted to write the test.
4. Candidate should bring with him/her, his own H.B. Pencil, Ball Pen, Eraser & Sharpener etc. for writing the test.
5. **No stationary items as mentioned at Sl. No. 4 above will be provided at the Entrance Test Centre.**
6. The candidate has to make entries about his/her particulars on Test booklet by Pen/Ball point pen. On Answer Sheet side I the desired particulars are to be filled by pen/Ball point pen. Whereas on side 2 (except signature) all the coded information and answers should be written with H.B. Pencil by filling appropriate bubbles/circles only.
7. Candidate should read the instructions on Test booklet & Answer-sheet carefully & follow it. Queries should be clarified with invigilators.

8. Each test question paper will consists of 200 **Objective type Questions** with 50 questions each in Physics, Chemistry, Biology/Mathematics and G.K. & English.
 9. The candidates opting for the test for BOT/BPT will have to attempt Physics, Chemistry, Biology and General Knowledge & English questions only.
 10. Candidates opting for the test for BPO will have the choice to attempt either Biology or Mathematics questions depending upon their subjects in 10+2 and choice of subjects they have opted in their application form.
 11. Each question carries 4 marks. Total test marks will be 800. For each incorrect answer one additional negative mark will be deducted from total score.
 12. Candidate will not be allowed to leave the Examination Hall Room for toilet etc. before half time for the test is over.
 13. **Candidate will not be allowed to carry any baggage or articles including Calculator, Pager, Mobile Phones etc. inside the Examination Hall/Room.**
 14. The Institute will not be responsible for any loss/theft of his/her personal belongings.
 15. Candidate is advised to visit venue of his/her Test Centre a day before the Test. He/She should note his/her seat in the seating arrangement same day early in the morning in the seating plans provided at the gate of the Test centre.
 16. Examination Superintendent of each Centre is authorized to examine any candidate/complaint/dispute and take decision accordingly.
 17. Videography of the Test Centre, Examination Rooms and individual applicants will be done to avoid any attempt of malpractice. The candidates are requested to cooperate with the professionals and invigilators as it is being accomplished to safe guard the interest of genuine hard working students.
 18. **Candidate found to be indulging in any type of unfair means/malpractice will not be allowed to write the test further and the entire test performance of the candidate will be cancelled.**
 19. Any attempt of impersonation will be dealt with strictly under law.
 20. Cold drinks/tea/coffee etc. will not be permitted inside the Test Centre Halls except drinking water.
 21. In view of the Government instructions, you are required to state whether you belongs to Other Backward Classes (OBC) category or not. Kindly mention the same on the attendance sheet also at the time of examination.
 22. **Note : Please bring one passport size Photograph at the time of Entrance Test.**
- 12. MAINTENANCE OF DISCIPLINE AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY**
- 12.1 Only successful candidates in the merit list of the Entrance Tests will be called for counselling to provide provisional admission on the stipulated date/time. All admissions are subject to confirmation by University of Delhi.
 - 12.2 **Attendance**

A candidate admitted to BOT/BPT/BPO shall not be deemed to have satisfied the required conditions of attendance unless he/she has attended not less than three-fourths (75%) of the theory and practical classes separately in each subject in each academic year. Attendences is compulsory in the prescribed internship period of six months. In addition attendance at the District Disability Rehabilitation Centres wherever prescribed in the course shall also be compulsory. **Institute does not take responsibility to complete attendance by arranging extra classes. A student if found short of attendance or not attending classes without information is liable to face disciplinary action including cancellation of admission or will not be allowed to sit in annual examination.**

13(a) PROHIBITION OF AND PUNISHMENT FOR RAGGING (Ordinance XV-C)

1. Ragging in any form is strictly prohibited, within the premises of the Institute including classrooms, library, corridors, departments and hostel and any part of University of Delhi system as well as on public places including transport.
2. Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with under this ordinance
3. Ragging for the purposes of this ordinance, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in any way considered junior or inferior by other students and includes individual or collective acts or practices which :
 - (a) involve physical assault or threat or use of physical force
 - (b) violate the status, dignity and honour of men/women students
 - (c) violate the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and scheduled tribes.
 - (d) expose students to ridicule on contempt and affect their self-esteem.
 - (e) entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.
4. The principal of a college, the head of the department or an institution, the Authorities of college, of University Hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.
5. Notwithstanding anything in clause (4) above, the Proctor may also enquire into any incident of ragging and make a report to the Vice-Chancellor of the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.
6. The Proctor may also submit an initial report establishing the identity of the perpetrators of

ragging and the nature of the ragging incident.

7. If the Principal of the College or Head of the Department or Institution or the Proctor is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he/she may so advise the Vice-Chancellor accordingly.
8. When the Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, his/her decision shall be final.
9. On the receipt of a report under clause (5) or (6) or a determination by the relevant authority under clause (7) disclosing occurrence of ragging incidents described in Clause 3(a), (b) and 9 (c), that the Vice-Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.
10. The Vice-Chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated, period admitted to a course of study in a results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.
11. In case where students who have obtained degrees or diplomas of University of Delhi are found guilty under this Ordinance, appropriate action will be taken under stature 15 for withdrawal of degrees or diploma conferred by the University.
12. For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging will also amount to ragging.
13. All institutions within the University of Delhi system shall be obligated to carry out instructions/directions issued under this ordinance, and to give aid and assistance to the Vice-Chancellor or achieve the effective implementation of the Ordinance.

13(b) RAGHAVAN COMMITTEE'S RECOMMENDATIONS

The candidates must read the recommendation of the Raghavan Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in order to prevent any incidence of ragging. The

Institute will comply the Hon'ble Supreme Court's guidelines and follow the recommendations of Raghavan Committee report on the issue.

- Based on the interactions and the elaborate methodology followed by it, the Committee is convinced that the society at large considers ragging as a definite menace. We are equally convinced that softer options have not worked and therefore it is time for tough measures. The Committee recommends, for curbing ragging in educational institutions, the active involvement of media and the civil society is essential.
- At the level of the Higher educational institutions, it should be mandatory for the student at the time of admission to submit documentation in respect of (i) the school leaving certificate/character certificate which will include a report on behavioural pattern. (ii) An annual undertaking to be signed by each student, whether fresher or senior, and his/her parent(s) jointly stating that each of them have read the relevant instructions/regulations against ragging, as well as punishments. Such undertaking should also be obtained from the students before they are admitted to the Hostels.
- The Committee feel that it is extremely important that this requirement of a binding undertaking is complied with by all institutions, and some superior level bodies must cross-verify and vouch that there is strict compliance thereto.
- The Committee recommends that in every institution, the freshers day' or 'welcome party' shall be concluded within the first two weeks of beginning of the academic session. In any such event, college faculty must be present and must ensure that no ragging or untoward incident takes place on the occasion.
- The Committee recommends that every institution must have an Anti-Ragging Committee and an Anti-Ragging Squad. The Committee should consist of the representatives of civil and police administration, local media, NGOs involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the fresher's category as well as seniors, non-teaching staff and it should be headed by the Head of the Institution.
- Appointment of 'Mentoring Cell' in each institution to oversee and involve senior students as Mentors for the 'freshers'. It should be formed at the end of each academic year.
- The Committee recommends that anonymous random surveys must be conducted by each institution, across the entire first year batch of students (freshers) every fortnight during the first three months of the academic session, to verify whether the campus is indeed free of ragging or not.
- The Committee recommends that private commercially managed lodges or hostels outside campus, such hostels and management must be registered with the local police authorities. Permission for establishment of such hostels should be recommended by the Head of the Institution.
- The Committee suggests that the complaints in regard to ragging could be oral or written and even from third parties and the confidentiality of the source of information must be protected at all costs. Remedial action must be initiated and completed within the week of the incident itself.
- The Committee recommends that preventing or acting against ragging should be the collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries within the institution.
- Hostel Wardens must be accessible at all hours and they must be issued mobile phones by the Institutions.
- The Committee recommends that at the level of the University there should be Monitoring Cell on Ragging, which should coordinate with the affiliated Colleges and institutions under its domain.
- The Committee suggests that the Heads of Institutions should be required to submit, to the Vice-Chancellor the University, weekly reports during first three months of the reopening of the institution and thereafter reports each on the status of compliance with anti-ragging measures.
- For purposes of timely communication, the Committee recommends, the students should have access to the public phones/mobile phones etc. in hostels and campuses.

14. INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

Note: (i) Please read the prospectus carefully before filling the application form.

(ii) Use blue ball point pen only.

14.1 The application form should be filled by the candidate himself in his/her own handwriting.

Fill up the details of Bank Draft enclosed if you have downloaded the application form from our website. Downloaded applications without bank draft of required amount will not be considered.

14.2 Examine the choice of course carefully. Know about the courses in detail from your resources or from our website and fill up in the relevant column in order of priority. The candidates will be offered courses at the time counselling in order of their personal priority and position in the merit list. Change in priority at the time of counselling/admission will be permitted subject to availability of seat and position of the candidate in the merit list.

You can opt only one/two courses out of three or all the three courses in order of printing like 1, 2 and 3 as below:

BPT	1	or	BPT	1
BOT			BOT	2
BPO			BPO	

BPT	1	or	BPT	3
BOT	2		BOT	1
BPO	3		BPO	2

14.3 Affix your recent passport size colour photograph duly attested either by your school/college principal or a gazetted officer. Get the photograph attested after affixing it to the application form.

14.4 Put your signature in the space provided below the space for photograph in your flowing hand writing. Signatures put in Capital letters will not be accepted.

14.5 Put your Left Thumb Impression (LTI) and Right Thumb impression (RTI) in the boxes provided for the same.

14.6 Write your name in CAPITAL LETTERS in boxes provided for the same. Count the boxes required for your name. Leave one box between name & surname. Add boxes if the provided boxes are less in number.

14.7 Write your date of birth in terms of day, month and year as exemplified below :

Date of birth

<i>Day</i>	<i>Month</i>	<i>Year</i>
1	7	06
1	9	90

14.8 Mention your age as on 1st Oct, 2009. e.g. a candidate having above date of birth will be of following age :

<i>Days</i>	<i>Months</i>	<i>Years</i>
1	0	1
4	3	9

14.9 Write the place of your birth in the terms of city/ Distt. and State as exemplified below :

<i>City/Distt.</i>	<i>State</i>
Rohtak	Haryana

14.10 Mention your place of domicile i.e. original State/ district of the father of the candidate.

14.11 Mark your sex in the appropriate box

14.12 Mark your marital status in appropriate box

14.13 (a) Write your nationality. In case you are a passport holder it should be mentioned as given in your passport.

(b) Mention about your mother tongue.

14.14 Read columns 14.14 to 14.18 in application form & Sl. 5 Number of seats in prospectus carefully and Mark in appropriate box(es). Do not

- forget to attach certificate from competent authority to stake claims of benefit under the relevant category.
- 14.19 Write your address for correspondence and &
14.20 permanent address in capital letters in the boxes provided for the same. Leave one box vacant after completion of each word. Pin code should also be mentioned to avoid delay in postage. Telephone and Fax (if any) should be given to correspond/contact you in the matters of urgency. Please give your e-mail address also if any.
- 14.21 Write the name of your father/husband/guardian to
14.25 and mother's name neatly in your own handwriting. Mention profession, monthly income and relationship with your guardian.
- 14.26 Fill up your educational qualification matriculation/ 10th standard onward in appropriate columns.. Attach a separate sheet if the provided space is inadequate. Attach attested photocopies of marksheets and certificates to this effect.
- 14.27 Mark in appropriate boxes and give likely date of declaration of result in your qualifying (10+2) examination if you have appeared this year.
- 14.28 If you have already passed your 10+2 examination fill up obtained marks in core subjects. viz Physics, Chemistry, Biology & English if you have applied for BOT/BPT/BPO courses and Physics, Chemistry, Mathematics/Biology and English if you have applied only for BPO course. Mention the core subjects in which you want to attempt your questions in Entrance Test. A candidate attempting questions in core subject of Mathematics will not be eligible for admission in BOT & BPT. Therefore read the instructions and prospectus carefully before filling core subjects. The aggregate percentage of core subjects will be counted to judge your eligibility as well as the subjects to allow you to attempt in the Entrance Test.
- 14.29 Read the declarations to be signed by the candidate himself/herself and the guardian. They &
14.30 will be responsible for these declarations in case of any incidence of violating norms/rules is brought to the notice of the Institute.
- Do not write any thing on the page captioned "For Office Use Only".

15. FORMAT OF CERTIFICATES

15.1 For SC/ST/OBC candidates : To be issued by District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/Sub-Divisional magistrate/Taluk Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant commissioner/Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate/Revenue Officer not below the rank of Tehsildar/Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides/Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep Islands)

This is to certify that Sh./Ku.....
 Son/Daughter of Sh./Ku.....
 of Village/Town.....
 In District Division.....
 of the State/Union Territory.....
 belongs to the.....
 caste/tribe which is recognised as Scheduled Caste/scheduled Tribe/OBC

Signature.....

Place & Date :

Name.....

(Official seal)

(In Capital Letters).....

Designation.....

15.2 ALTERNATIVE

(application only to those persons who have migrated from one state to another for purpose of employment, education, etc.) on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate/Other Backward Castes issued by.....

vide No.....

(Name of the issuing authority)

.....date.....to Mr./Mrs.....father/mother

of Sh./Ku.....of Village/Town.....in District

Division.....on the State/Union Territory.....

it is certified that he/she belongs to the.....Caste/Tribe which is recognised as

Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory.....

Signature.....

Name.....

Place & Date :

(In Capital Letters).....

(Official seal)

Designation.....

Please delete the words which are not applicable. Only photo copy of the certificate duly attested by the Headmaster/Principal of School or Gazetted Officer should be submitted.

16. Guidelines for Counselling the Candidates for Admission to Bachelor of Physical Therapy/Bachelor of Occupational Therapy/Bachelor of Prosthetics & Orthotics

1. Personal presence of the candidate is mandatory for counseling.
2. Only one person will be allowed to accompany the candidate in the Counseling Hall.
3. Reporting time to counseling Hall is 10.00 a.m.
4. Candidate will be allowed entry in the Counseling Hall only up to 10.30 a.m.
5. If a candidate fails to appear in the counseling for any reason on the day, date and time given in his/her counseling letter he will forfeit the chance of his/her admission and seat will be offered to the next candidate in the merit list.
6. The candidate will have to bring original certificates of the documents required for admission, which will be retained in the Institute at the time of admission till such time, he/ she is enrolled in the University of Delhi.
7. Candidates will be called according to their rank in the merit list.
8. The candidates will be offered the course of their Ist Option as opted by them in their application form according to their rank in the merit list. In case Ist Option Course is not available, 2nd Choice course will be offered to the candidate if opted for in the application form.
9. If a candidate denies Ist Choice despite availability of seat he will not be offered 2nd Choice.
10. In case the candidate who has opted one course the candidate will be given admission to the course of his/her choice on the basis of merit. If he does not get his/her only Choice his/her name will be kept in the waiting list for that course and as soon as the seat falls vacant same will be offered to such candidate according to the merit in the waiting list. No second option shall be allowed in such cases.
11. In case of tie in the merit list, percentage of marks of the candidate in 10+2 (PCBE) subjects will be taken into consideration.
12. In case of tie in the merit as well as 10+2(PCBE) subjects percentage, age of the candidates will be considered and older candidate will be given admission in the opted course.
13. Immediately after the counseling the candidate will be given provisional admission in the Institute and he/she will have to deposit fee on the day of counseling itself.
14. The fee will have to be deposited either in cash or in the form of DD in favour of Director, Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, payable at New Delhi on the same day.
15. If a candidate fails to deposit the fee on the day of counseling the seat will be offered to the next candidate in the merit list.
16. Caution money, Library security deposit, Tuition fee, Therapeutic lab fee and sports and cultural fee will be refunded only if a candidate withdraws his/her admission one day before the second counseling for admission or one day before commencement of classes (whichever is earlier).
17. Hostel fee will be charged only if the seats are available in the hostel. Hostel fee will be refundable if the candidate has not been given accommodation in the Hostel.
18. Issuance of counseling letter does not entitle a candidate for admission in the Institute. It is subjected to rank in the merit list options of the course given in application form fulfillment of eligibility conditions and production of original certificates for claiming the provisional admission.
19. In case of any controversy in Language/interpretation, the english version of prospectus shall prevail.

14.9.	जन्म स्थान Place of Birth	गाँव Village	जिला/नगर District/City	राज्य State
-------	------------------------------	-----------------	---------------------------	----------------

अस्पताल का नाम जहाँ पैदा हुआ । यदि कोई हो तो
Name of Hospital (where born) if any

14.10.	अधिवास स्थान Place of Domicile	राज्य State	नगर Town	गाँव Village
--------	-----------------------------------	----------------	-------------	-----------------

14.11.	लिंग Sex	पुरुष Male	<input type="checkbox"/>	महिला Female	<input type="checkbox"/>
--------	-------------	---------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

14.12.	वैवाहिक स्थिति Marital Status	विवाहित Married	<input type="checkbox"/>	अविवाहित Single	<input type="checkbox"/>
--------	----------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

14.13. (क) राष्ट्रीयता.....(यदि पासपोर्ट रखते हो, तो उल्लिखित राष्ट्रीयता का ही उल्लेख करें।)
(a) Nationality.....(In case of Passport holders, Nationality should be given as mentioned in the Passport).

(ख) मातृभाषा.....
(b) Mother Tongue.....

14.14. क्या आप निम्नलिखित में से किसी श्रेणी से संबंधित हैं ?
Which category do you belong to

1. सामान्य/General	हां/Yes	<input type="checkbox"/>	नहीं/No	<input type="checkbox"/>
2. अनु. जाति./SC	हां/Yes	<input type="checkbox"/>	नहीं/No	<input type="checkbox"/>
3. अनु. जनजाति./ST	हां/Yes	<input type="checkbox"/>	नहीं/No	<input type="checkbox"/>
4. अन्य पिछड़ा वर्ग/OBC	हां/Yes	<input type="checkbox"/>	नहीं/No	<input type="checkbox"/>
5. अन्य/Others	हां/Yes	<input type="checkbox"/>	नहीं/No	<input type="checkbox"/>

14.15. क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से संबंधित हैं ?
Do you belong to PH category?

हां/Yes नहीं/No

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें।
If yes, Please enclose Certificate to this effect.

14.16. क्या आप सी.डब्ल्यू.ए.पी.पी. श्रेणी से संबंधित हैं ?
Do you belong to CWAPP category?

हां/Yes नहीं/No

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें।
If yes, Please enclose Certificate to this effect.

14.17. क्या आप ऐसे राज्य के प्रत्याशी हैं जहाँ इस प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ?

हां/Yes नहीं/No

Do You belong to a state where similar teaching facilities are not available. (STNA)

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें।
If yes, Please enclose Certificate to this effect.

14.26. प्रार्थी की शैक्षिक अर्हता (मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा) से आगे

Educational Qualification of the applicant Matriculation (10th standard) onwards.

निर्देश:- प्रमाण पत्र और अंकतालिका की सत्यापित प्रतियाँ ही संलग्न करें अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

Note :- Attested photocopies of Certificate and Marks Sheet to be enclosed failing which the application will not be considered.

कालेज व स्कूल का नाम व पता Name and Address of the school/College	उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम Full Name of Examination passed	विश्वविद्यालय/ बोर्ड का पूरा नाम Full Name of Board/University	लिए गए विषय Subjects taken	उत्तीर्ण वर्ष Year of Passing	प्राप्तांको का प्रतिशत % of marks Obtained

14.27. क) क्या आप इस वर्ष 10+2 परीक्षा में बैठ चुके हैं ?/ बैठ रहे हैं ?

Have you appeared /appearing in 10 + 2 exam this year ?

हां Yes नहीं No

ख) क्या परिणाम अभी अघोषित है ?

Result yet to be declared ?

हां Yes नहीं No

ग) यदि हाँ, तो परिणाम कब तक घोषित होने की संभावना है ।

If Yes, when the result is likely to be declared

दिन मास वर्ष
Days Months Year

घ) वर्ष-अन्तराल का ब्यौरा ।

Details of Gap year/s

हां Yes नहीं No

यदि हाँ, तो ब्यौरा दें

If yes, then details thereof

क्र. सं/ S.No.	अन्तराल वर्ष/ Gap year	अन्तराल वर्ष के कारण/ Details of cause/s gap year	टिप्पणी यदि कोई हो/ Remarks if any
1.	2006 - 2007		
2.	2007 - 2008		
3.	2008 - 2009		
4.	अन्य/Others		

नोट : कृपया अन्तराल वर्षों के कारणों के पक्ष में संबंधित दस्तावेज/शपथ पत्र दाखिल करें ।

Note : Please attach document/affadavit to support your claim about the cause of gap year/s

14.28. क) कोर विषयों में अर्हक परीक्षा (10+2) में प्राप्तांक ।

Marks obtained in the qualifyings (10+2) Examination in core subjects.

विषय/Subject	पूर्णांक/Total Marks	प्राप्तांक/Marks obtained
1. भौतिकी/Physics		
2. रसायन शास्त्र/Chemistry		
3. (क) जीव विज्ञान/Biology (ख) गणित/Mathematics		
4. अंग्रेजी/English		
योग/Total		

ख) चार कोर विषयों में योग प्रतिशत (जो उपयुक्त हों)
Aggregate percentage in Core subjects — (पी सी बी ई/PCBE) — (पी सी एम ई/PCME)
(whichever is applicable)

ग) प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए वैकल्पिक मुख्य विषय भौ., रसा.शा., जी.वि. व अंग्रेजी/PCBE
Core Subjects opted for appearing in Entrance Test बी.पी.टी./बी.ओ.टी./बी.पी.ओ. प्रत्याशियों के लिए
BPT/BOT/BPO Courses candidates
 भौ., रसा.शा., गणित व अंग्रेजी/PCME
(केवल बैचलर आफ प्रोस्थेटिक्स और
आर्थोटिक्स प्रत्याशियों के लिए)
(only for BPO Course candidates)

14.29. प्रत्याशी की घोषणा :

DECLARATION OF CANDIDATE

- (क) मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है ।
(a) I solemnly declare that the information given by me in this application is true to the best of my knowledge.
- (ख) मुझे मेरी योग्यता क्रम सूची तथा मेरी पात्रता के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम आवंटित किया जाएगा मैं उसमें प्रवेश लूँगा/लूँगी ।
(b) I shall join the course whichever is allotted to me as per merit list and my eligibility.
- (ग) मैं समय-समय पर लागू संस्थान के नियमों और विनियमों का अनुपालन करूँगा/करूँगी ।
(c) I shall abide by Rules and Regulations of the Institute as applicable from time to time.
- (घ) अनुशासनहीनता और कदाचार के लिए मुझे संस्थान से निकाल देने तथा संस्थान और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही तक दण्डित किया जा सकता है ।
(d) Indiscipline/Misconduct shall make me liable to punishment extending upto expulsion from Institute & criminal proceedings as per rules of the Institute/University.

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

स्थान/Place

दिनांक/Date.....

14.30. पिता/पति/अभिभावक द्वारा घोषणा :

DECLARATION BY THE FATHER/HUSBAND/GUARDIAN

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मेरे विश्वास के अनुसार मेरे पुत्र/पुत्री/प्रतिपाल्य द्वारा दिया गया विवरण सत्य है । वह संस्थान तथा विश्वविद्यालय नियमों का पालन करेगा/करेगी । कोई भी अनुशासनहीनता, कदाचार तथा संस्थान शिष्टता को भंग करने के लिए उसे संस्थान से निकाल देने तक का दण्ड दिया जा सकता है ।

I declare that all statements made by my/son/daughter/wife/ward are true to the best of my knowledge and belief. He/She shall abide by the rules of the Institute/University. Any indiscipline, misbehaviour, misconduct & breach in decorum of Institute will make her/him liable to punishment upto expulsion from Institute.

स्थान/Place.....

दिनांक/Dated.....

पिता/पति/अभिभावक के हस्ताक्षर
Signature of Father/Husband/Guardian

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए
FOR OFFICE USE ONLY

(क) श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/.....

रोल नं०.....से आवेदन-पत्र प्राप्त किया ।

(A) Received the Application Form Sh./Smt/Ku.....Son/Daughter of.....

.....Roll No.....

(ख)को प्रवेश पत्र जारी किया गया ।

(B) Admit Card issued on.....

(ग)/(C) विसंगतियां/Discrepancies

1.

2.

3.

(घ)/(D) अन्य कोई अभ्युक्ति/Any other Remarks

.....

.....

.....

संवीक्षा समिति के सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर/
Signature of Screening Committee Member(s)

परामर्श के समय उपयोग हेतु
FOR USE AT THE TIME OF COUNSELLING

- (क) परामर्श की तिथि.....
(A) Date of Counselling.....
- (ख) प्रवेश चयन परीक्षा में अंक
(B) Marks in Entrance Test.....
- (ग) योग्यता-क्रम सूची में स्थान.....
(C) Place in Merit List.....
- (घ) वर्ग.....
(D) Category.....
- (ज) दाखिले के लिए चयन किया गया : (बीपीटी / बीओटी / बीपीओ)
(E) Selected for admission into : (BPT / BOT / BPO)

के लिए चयनित/Selected for

--	--	--

प्रतीक्षा सूची में/Wait listed for

--	--	--

प्रवेश की तिथि /Date of Admission

--	--	--	--	--	--

- (च) प्रतीक्षा सूची नम्बर :
(F) Waiting List Number :

बीपीटी/BPT

--	--	--

बीओटी/BOT

--	--	--

बीपीओ/BPO

--	--	--

हस्ताक्षर/Signature

- विभागाध्यक्ष
Head of Deptt.

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

- अध्यक्ष दाखिला समिति
Chairman Admission Committee

निदेशक
DIRECTOR

**Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA
INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002**

Reference No.....

Acknowledgement

1. The undersigned acknowledge the receipt of your application form for Entrance Test for admission to Bachelor of
2. In all correspondence with the Institute in connection with this application, invariably quote the reference number given at the top.
3. Any change in your postal address should be communicated to this office at once.
4. This is merely an acknowledgement of your application.

Candidate should himself/herself write his/her complete address on the reverse with Pin Code to ensure timely reply.

Chairman, Admission Committee
Pt. Deendayal Upadhyaya Institute
for the Physically Handicapped

ACKNOWLEDGEMENT CARD

To

Stamp

.....
.....
.....

Pin Code :



BPT/BOT/BPO

Entrance Test Date 14.6.09 (Sunday)

Reporting Time - 9.30 A.M.

Test Timings - 10.00 A.M. to 1.00 P.M.

**Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA
INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002**

IDENTITY CARD

Entrance Test for **BPT/BOT/BPO** *on 14.06.2009 (Sunday)*

Roll No.....

Full Name.....Sex.....

Age on 1.10.2009.....

Venue of Test.....

.....

Sign. of Test Superintendent

Affix Photograph here Attestation not to be done

Signature of Candidate

**Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA
INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002**

ADMIT CARD

Candidate without this card will not be admitted for the Test

Entrance Test for **BPT/BOT/BPO** *on 14.06.2009 (Sunday)*

Roll No.....

Full Name.....Sex.....

Age on 1.10.2009.....

Venue of Test.....

.....

Sign. of Test Superintendent

Affix Photograph here Attestation not to be done

Signature of Candidate



IMPORTANT DATES

- * PROSPECTUS ON SALE FROM : 15TH APRIL,2009 (WEDNESDAY)
- * LAST DATE FOR ISSUE OF PROSPECTUS BY POST : 22nd MAY, 2009 (FRIDAY)
- * LAST DATE OF SALE OF PROSPECTUS AT COUNTER : 29TH MAY, 2009 (FRIDAY)
- * LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : 29TH MAY, 2009(FRIDAY) till 5.00 P.M.

ENTRANCE TEST ON 14th June 2009 (Sunday)

BPT/BOT/BPO : 10.00 A.M. TO 1.00 P.M.

PROSPECTIVE DATES

Declaration of Result : 29th JUNE, 2009
1st Counselling/Admission : 15 / 16 / 17th JULY, 2009
IInd Counselling/Admission : 30 / 31st JULY, 2009

Contact for more information / clarification

PHONES : 011-23236193, 23216902, 23232403
E-mail : diriph@nic.in, sharadranga@hotmail.com
Website : www.iphnewdelhi.in

सामान्य व अन्य के लिए 500/- रू.
For general & others Rs. 500/-

अ.ज./अ.ज.जा. के लिए 250/- रू.
For SC/ST Rs. 250/-